

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023—ज्येष्ठ 19, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

कार्यालय रतलाम विकास प्राधिकरण, रतलाम मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 31 मई 2023

प्ररूप—सत्रह

[नियम 19(4) देखिए]

[धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन नगर विकास योजना बनाने के आशय की घोषणा की सूचना]

क्र./491-2023.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (2) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि रतलाम विकास, रतलाम नगर विकास योजना क्रमांक TDS-02/2022 अर्थात् ग्राम एवं जिला रतलाम में योजना बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26-05-2023 को अनुमोदित किया गया है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:—

क्र०	भू-स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	योजना में सम्मिलित क्षेत्रफल
1	सचिन पिता नन्द किशोर नागौरा भरत पिता राजकुमार निंदरवाल राजेश पिता रमेशचंद्र धाकड़ पता निवासी सागोद रोड़ रतलाम मध्य प्रदेश	778/1	0.600	0.600
2	सचिन पिता नन्द किशोर नागौरा भरत पिता राजकुमार निंदरवाल राजेश पिता रमेशचंद्र धाकड़ पता निवासी सागोद रोड़ रतलाम मध्य प्रदेश	778/2	0.830	0.830
3	रामरतन पिता आत्माराम विजयवर्गीय पता नि.लक्कड़पीठा भूमि स्वामी	779/1/1	0.590	0.590
4	रामरतन पिता आत्माराम विजयवर्गीय पता नि.लक्कड़पीठा भूमि स्वामी	779/4	0.445	0.445
5	नन्दीबाई पति गणपत जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	779/1/2	0.080	0.080

6	नन्दीबाई पति गणपत जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	779/2/2	0.100	0.100
7	प्रितेश पिता रमेश चौरडिया व अन्य	797/1	1.700	0.260
8	राजेश पिता गणपत पाटीदार	797/2	0.600	0.130
9	नन्दीबाई पति गणपत जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	797/4	0.410	0.080
10	नन्दीबाई पति गणपत जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	797/5	0.400	0.180
11	ललिता पति मनोहर लाल परमार	797/6	0.600	0.110
12	प्रकाश कुमारी पति महेन्द्र छाजेड	797/7	0.400	0.080
13	रामरतन पिता आत्माराम विजयवर्गीय पता नि.लक्कड़पीठा भूमि स्वामी	779/2/1	0.240	0.240
14	पिस्ताबाई पति मणिलाल पता नि. रतलाम भूमि स्वामी रामरतन पिता आत्माराम विजयवर्गीय पता नि.लक्कड़पीठा भूमि स्वामी	779/3	0.445	0.445
15	श्रीमाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा	779/3/2/1	0.060	0.060
16	शिल्पा पति अप्पित भंडारी पता निवासी 55 नागरवास रतलाम भूमि स्वामी	779/3/2/2	0.050	0.050
17	श्रीराम मंदिर वाके देह भूमिस्वामी पंचान भेरुगढ़ व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय पता जिला रतलाम (म0प्र0) भूमि स्वामी	770	1.650	0.350
18	श्रीराम मंदिर वाके देह भूमिस्वामी पंचान भेरुगढ़ व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय पता जिला रतलाम (म0प्र0) भूमि स्वामी	780	2.550	2.510
19	गोपाल राजेन्द्र कुमार पिता मांगीलाल राठौर प्रदीप पिता मांगीलाल राठौर,स्नेहलता पति द्वारकादास माहेश्वरी, सुमन पति कैलाशचन्द्र झालानी पता-नि0रतलाम भूमि स्वामी	753/1	2.530	2.530
20	गोपाल पिता शोभाराम बंसतीलाल पिता भेरुलाल जाती राजपूत भूमि स्वामी	753/2	1.200	1.200
21	भेरुलाल पिता जवरचंद जाति तेली नि0 रतलाम भूमि स्वामी	754/1	1.020	0.980
22	शोभाराम पिता जनस्वयं जाति तेली पता नि0 मंडी भूस्वामी	754/2	1.010	1.010
23	संजय कुमार पिता मोतीलाल दवे जाति ब्राह्मण पता रतलाम भूमि स्वामी	755	1.050	0.700
24	राजेश कुमार पिता मोतीलाल जाती ब्राह्मण पता सा0 रामगढ़ भूमि स्वामी	756	2.110	0.950
25	बलराम भेरुलाल नानालाल पूनम चंद नारायणलाल पता रतलाम मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	745	2.680	1.350
26	नन्दीबाई पति चम्पालाल जाति 2 पता नि0 रतलाम भूमि स्वामी	744	1.000	0.930
27	गेदालाल पिता बालाराम पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी	743/2	0.170	0.100
28	मांगीलाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता नि0ग्राम भूमि स्वामी	736/21/3/2	0.040	0.040
29	गेदालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता नि0ग्राम भूमि स्वामी	746/1	0.580	0.580
30	मांगीलाल पिता बालाराम पाटीदार पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	736/21/3/2	0.560	0.560
31	मांगीलाल पिता बालाराम पाटीदार पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	746/2	0.580	0.580
32	मणीलाल अमृतलाल पिता समस्थ मल जाति कटारिया पता रतलाम नगर रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	750/1	0.870	0.850
33	सरजु बाई पति भेरुलाल पता रतलाम नगर रतलाम म0प्र0 1/2 भाग भूमि स्वामी	781/1/22	1.010	0.360
34	शंभुलाल शिवलाल पिता चंपालाल जमुना बाई पति गीरधारीलाल जाति 2 पता नि0 रतलाम भूमि स्वामी	781/2	2.000	0.860
35	भागवती बाई पति चुन्नीलाल जाति मालि पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	781/5	1.000	0.220
36	भागवती बाई पति चुन्नीलाल जाति मालि पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	781/7	0.970	0.930
37	नानालाल पिता चंपालाल जाति 2 पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	736/19	0.840	0.840
38	रमेश पिता चंपालाल नि0रतलाम भूमि स्वामी	736/20	0.840	0.840
39	नारायण पिता चंपालाल जाति 2 पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	736/17	0.840	0.840
40	भेरुलाल पिता चंपालाल पता निवासी शंकरगढ़ भूमि स्वामी	736/18	0.810	0.810
41	राजेश कमलेश पिता गणपत अंगुरबाला पति गणपत नन्दी बाई बेवा गणपत जाति कुलम्बी पति निवासी ग्राम पता भूमि स्वामी	736/10/2	0.450	0.450

42	प्रदीप पिता चन्द्रबहादुर मालिक पता नि0 53 आनन्द लोन कालोनी रुडकी मेरट भूमि स्वामी हाल मुकाम काटजू नगर	736/10/3	0.460	0.460
43	संजय विजय पिता कृष्ण कुमार शारदा बेवा जाति0 पता नि0रतलाम भूमी स्वामी	736/10/4	0.430	0.430
44	पुरुषोत्तम राजु बाई सुनिता पिता नरसिंह सागर बाई वेवा नरसिंह जाति कुलम्बी पता नि0रतलाम भूमी स्वामी	736/10/5	0.430	0.430
45	बलराम पिता भागीरथ जाति कुलम्बी पता नि0 ग्राम भूमी स्वामी	736/10/6	0.430	0.430
46	झमकलाल पिता भागीरथ जाति कुलम्बी पता नि0ग्राम भूमी स्वामी	736/10/7	0.430	0.430
47	संतोष पिता भागीरथ जाति कुलम्बीपता नि0ग्राम भूमी स्वामी	736/10/8	0.430	0.430
48	जगन्नाथ पिता भागीरथ कुलम्बीपता नि0 ग्राम शंकर गढ़ भूमी स्वामी	736/10/1	0.440	0.440
49	पुनमचंद पिता चंपालाल पता नि0रतलाम भूमी स्वामी	736/5	0.800	0.800
50	जगन्नाथ धमकलाल ईश्वराल बलराम संतोष कुमार तुलसीराम पिता भागीरथ सागरबाई वेवा नरसिंह पुरुषोत्तम राजुबाई सुनिता पिता नरसिंह नंदी बाई वेवा गणपत राजेश कमलेश अंगुरबाई पिता गणपत संजय विजय पिता कृष्ण कुलम्बीपता नि0ग्राम भूमी स्वामी	736/8/1	0.470	0.470
51	अम्बाराम पिता बाबर जाति 2 पता नि0ग्राम भूमी स्वामी	736/9	4.450	4.450
52	जी आर डेवलपर्स द्वारा भागीरथ मोहीत पिता मुकेश पगाड़ीया पता नि0काटजू नगर रतलाम म0प्र नीजी सस्था	736/3/1	2.910	2.910
53	धन्नालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी कुलम्बी पता नि0 रतलाम भूमी स्वामी	736/21/1/1	0.040	0.040
54	धन्नालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी कुलम्बी पता नि0 रतलाम भूमी स्वामी	736/21/1/2/1	0.770	0.770
55	धन्नालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी कुलम्बी पता नि0 रतलाम भूमी स्वामी	736/21/1/2/2	0.190	0.190
56	गेदालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता नि0 ग्राम रतलाम भूमी स्वामी	736/21/2/1	0.040	0.040
57	गेदालाल पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता नि0ग्राम रतलाम भूमी स्वामी	736/21/2/2	0.560	0.560
58	मागीलाल पिता बालाराम पाटीदार पता नि0रतलाम भूमी स्वामी	736/21/3/1	0.040	0.040
59	मागीलाल पिता बालाराम पाटीदार पता नि0रतलाम भूमी स्वामी	736/21/3/2	0.560	0.560
60	भेरूलाल शोभाराम पि0जवरचन्द पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	747/1	1.110	1.110
61	भेरूलाल शोभाराम पि0जवरचन्द पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	747/2	1.100	1.100
62	श्री महावीर जैन गृहनिर्माण सहकारी समिती मर्यादित भूमिस्वामी द्वारा अध्यक्ष प्रफुल कुमार पिता तेजमल पता रतलाम नगर रतलाम मध्य प्रदेश निजी सस्था कृषि भिन्न आय	771/2/1	0.300	0.150
63	श्री महावीर जैन गृहनिर्माण सहकारी समिती मर्यादित भूमिस्वामी द्वारा अध्यक्ष प्रफुल कुमार पिता तेजमल पता रतलाम नगर रतलाम मध्यप्रदेश निजी सस्था कृषि भिन्न आय	771/2/2	0.300	0.130
64	पुष्पाबाई पति सतीशचंद राठोड पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	771/3/1	1.007	0.770
65	रेखा पति अमृतलाल जाती कटारिया पता नि.भंरावाकुई भूमि स्वामी कृषि भिन्न आशय	771/3/2	0.110	0.110
66	पिस्ताबाईपति मणिलाल जाती कटारीया पता नि भवरकुई रतलाम भूमि स्वामी कृषि भिन्न आय	771/3/3	0.037	0.037
67	पुष्पा पति राकेश देवडा रोशनबी पिता मोहम्मद कमाल मंसुरी माजेदावी पिता एजाज अहमद पता निवासी अमृत सागर कालोनी हिस्सा 0.070 रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	771/3/5	0.140	0.140
68	मोहनदास पिता गुरु रघुनन्दनदास बैरागी पता रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	771/4/1	0.955	0.955

69	नरेशकुमार सोनी पिता भगवतीलाल जाति सोनी पता रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	771/5	0.050	0.050
70	अर्जुन सोनी पिता सुरेशचंद्र सोनी पता निवासी चांदनी चौक रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	771/4/2	0.110	0.110
71	अजय पिता लक्ष्मीनारायण महेश्वरी जाती चौरसिया पता निरतलाम म. प्र. भूमि स्वामी	771/6	0.110	0.110
72	विनोद पिता गोविन्द यादव पता निवासी टाटा नगर हिस्सा 0.020 रतलाम म.प्र. भूमि रतलाम	771/7	0.020	0.020
73	राजेश कुमार वि पारसमल जाति मरमट पता निरतलाम म.प्र. भूमि स्वामी कृषि भिन्न आय	771/8	0.025	0.025
74	सुरेश कुमार पि. चांदमल जाति साही पता नि रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी कृषि भिन्न आय	771/9	0.020	0.020
75	सरजू बाई पति भेरूलाल कौशल्याबाई पति शोभारम जाति तेली पता मथुरी भाग भूमि स्वामी	752/1	0.537	0.537
76	होजेफा मुस्तफा युसुफ बतुल बी पिता ताहेर अती हि 0.200 पता निवासी पुणे पुना महाराष्ट्र	752/2/1	0.250	0.250
77	भेरूलाल शोभाराम पि. जवरचन्द्र पता नि.रतलाम भूमि स्वामी	752/2/2	0.825	0.825
78	सीमा पति राजेश चौधरी पता नि रामनगर रलाम भूमि स्वामी	752/3	0.269	0.269
79	सीमा पति राजेश चौधरी पता नि रामनगर रलाम भूमि स्वामी	752/4	0.269	0.269
80	मुकेश कुमार भोडीलाल, नितीष कुमार पिता शिवकुमार शर्मा पता निवासी रामगढ रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	751/1	0.200	0.200
81	मुकेश कुमार भोडीलाल, नितीश कुमार पिता शिवकुमार शर्मा पता निवासी रामगढ रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी	751/2/1	0.050	0.050
82	पंकज श्रीमाल पिता शांतीलाल श्रीमाल पता निवासी 126 बाजना बस स्टेण्ड भूमि स्वामि	751/2/2	0.350	0.350
83	जम्बुकुमार पि.माणकलाल जाति पिरदिया महाजन पता नि.रतलाम भूमि स्वामी	751/3/1/1	0.040	0.040
84	रितेश पिता चन्द्रप्रकाश नागोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	751/3/1/2	0.050	0.050
85	पंकज श्रीमाल पिता शांतीलाल श्रीमाल पता निवासी 126 बाजना बस स्टेण्ड भूमि स्वामि	751/3/2	0.130	0.130
86	राजेश पिता भुवान चौधरी पता नि.रतलाम भूमि स्वामी	751/4/1	0.400	0.400
87	रेखा पति विनोद जाति चौधरी पता रामनगर रतलाम भूमि स्वामी कृषि भिन्न आशय	751/4/2	0.400	0.400
88	अतीकाबाई पति हकीमउदीन पता नि. रतलाम भूमि स्वामी	751/5	0.110	0.110
89	बालाराम भेरूलाल नानालाल पूनमचंद नारायणलाल रमेशचंद गीताबाई पिता चंपालाल पता रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	748	1.550	1.550
90	अम्बाराम पिता बाबर जाती 2 पता नि0 रतलाम भूमि स्वामी	749	1.910	1.910
91	अमृतलाल पिता समरथलाल जैन कान्तादेवी पति नवीन चन्द जेन पता रतलाम नि. मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	777/1/1	0.350	0.350
92	अमृतलाल पिता समरथलाल जैन कान्तादेवी पति नवीन चन्द जेन पता रतलाम नि. मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	777/1/2	0.350	0.350
93	कौशल्याबाई पति कैलाश जाति शर्मा पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	777/2	0.700	0.700
94	कौशल्याबाई पति कैलाश जाति शर्मा पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	777/3	0.690	0.690
95	अरुण कुमार पिता विजेन्द्र कुमार पितलिया पता निवासी चांदनीचौक हिस्सा 0.177 रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	776/2/1	0.285	0.285
96	अरुण कुमार पिता विजेन्द्र कुमार पितलिया पता निवासी चांदनीचौक हिस्सा 0.177 रतलाम मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	776/2/2	0.050	0.050
97	शिल्पा पति अर्पित भंडारी पता निवासी 55 नागरवास रतलाम भूमि स्वामी	776/1/2	0.062	0.062

98	आशिर्वाद डेवलपर्स भागीदार पंकज पिता समीरमल बर्डिया पता रतलाम नगर रतलाम म0प्र0 निजि संस्था	776/1/1/2	0.118	0.118
99	आशिर्वाद डेवलपर्स भागीदार पंकज पिता समीरमल बर्डिया पता रतलाम नगर रतलाम म0प्र0 निजि संस्था	776/1/1/1	0.155	0.155
100	रणछोड पिता नानुराम पता रतलाम पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	775/1	1.840	1.840
101	गोविन्द पिता रामचन्द्र जाति अग्रवाल पता रतलाम पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	775/2	0.200	0.200
102	सुमित कुमार पिता बसंतिलाल गांधी पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	775/3	0.110	0.110
103	राजेश पिता बाबुलाल कटकानी पता रतलाम पोरवाडों का वास रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	775/4	0.110	0.110
104	विजल पिता कैलाश प्रजापत व0अन्य 2	775/5 एवं 6	0.400	0.400
105	महावीर जैन गृह निर्माण सह. समिति मर्यादित रतलाम प्रफुल कुमार पि. तेजमल जाति लोढा पता रतलाम भूमि स्वामी	775/7	0.200	0.200
106	महावीर जैन गृह निर्माण सह. समिति मर्यादित रतलाम प्रफुल कुमार पि. तेजमल जाति लोढा पता रतलाम भूमि स्वामी	775/8	0.2000	0.2000
107	महावीर जैन गृह निर्माण सह. समिति मर्यादित रतलाम प्रफुल कुमार पि. तेजमल जाति लोढा पता रतलाम भूमि स्वामी	774/6	0.270	0.270
108	स्मृति वाल मंदिर सागोद रोड रतलाम द्वारा अध्यक्ष मंजुला बाई पति रंगलाल चोरडिया सचिव राजकुमारी पति मोहनलाल पिरौदिया पता नि0रतलाम निजि संस्था	774/5	0.260	0.260
109	हातिम अली पि. ताहेरअली जाति वोहरा पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	774/4	0.270	0.270
110	मणीलाल पिता पुनमचन्द घोटा जाति भण्डारी पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	774/3/2	0.140	0.140
111	मणीलाल पिता पुनमचन्द घोटा जाति भण्डारी पता नि0रतलाम भूमि स्वामी	774/3/1	0.130	0.130
112	शांतिलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम भूमि स्वामी	774/1/2/1	0.160	0.160
113	शांतिलाल बसंतिलाल भगवतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/1/2/2	0.031	0.031
114	शांतिलाल बसंतिलाल भगवतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/1	0.060	0.060
115	भगवतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/2	0.280	0.280
116	बसंतिलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/3	0.280	0.280
117	शांतिलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/4	0.120	0.120
118	शांतिलाल बसंतिलाल भगवतीलाल पिता जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/5	0.020	0.020
119	शांतिलाल पिता जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/2/6	0.100	0.100
120	भेरुलाल पिता रामनारायण जाति माली पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	774/1/1	0.900	0.900
121	कंचनबाई पति गेन्दालाल जाति 2 पता रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	773	1.270	1.270
122	शांतिलाल बसंतिलाल भगवतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	772/3	0.020	0.020
123	बसंतिलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	772/4	0.513	0.513
124	भगवतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	772/1	0.224	0.224

125	शांतीलाल पिता रणछोड जाति माली पता तेजानगर रतलाम म0प्र0 भूमि स्वामी	772/2	0.413	0.413
126	मणीलाल अमृतलाल पिता समरथलाल	750/2	0.880	0.880
127	तुलसीराम पिता भागीरथ	736/8/2/1	0.3725	.03725
128	तुलसीराम पिता भागीरथ	736/8/2/2	0.0575	0.0575
129	अम्बाराम	736/4/1	0.075	0.010
130	समरथलाल पिता केसरीमल	736/4/2	1.075	0.440
131	मणीलाल अमृतलाल पिता समरथलाल	736/56	1.310	0.020
132	मणीलाल अमृतलाल पिता समरथलाल	736/57	1.310	1.080
133	विषम्बरदास पिता लक्ष्मणदास बैरागी	736/37	0.030	0.030
134	न्यू ईरा इन्टरप्राइजेस	736/7	5.050	1.500
135	नाकोडा डेवलपर्स एन्ड कन्स्ट्रक्शंस कम्पनी आयुष पिता दिलीपकुमार गंग	736/47	0.810	0.810
136	नाकोडा डेवलपर्स एन्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी आयुश पिता दिलीपकुमार गंग	736/46	0.590	0.590
	टोटल			68.778

शासकीय भूमि की जानकारी

निजी भूमि-	68.778 हेक्टर में
शासकीय भूमि-	1.35 हेक्टर में
कुल भूमि-	70.128 हेक्टर में

अनुक्र०	शासकीय भूमि का नाम	खसरा न०	कुल रकबा (हेक्टर में)	योजना में समाविष्ट रकबा (हेक्टर में)
01	नाले की शासकीय भूमि	768	2.290	0.750
02	शासकीय मध्यप्रदेश शासन भूमि स्वामी	769	1.090	0.600
	टोटल			1.35

प्रारूप नगर विकास स्कीम में अंतिम भूखण्ड का आवंटन उपरोक्त दर्शाई गई भू-धारिता तथा स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया जाएगा, भू-धारिता अथवा तालिका में दर्शाये गये क्षेत्रफल में किसी विसंगति को, अथवा इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी उपविभाजन (सबडिवीजन) को सुसंगत प्रलेखों के साथ इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर जानकारी में लाया जाएगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात अंतिम भूखण्ड के आवंटन के प्रयोजन हेतु मूल भूखण्ड में किसी गये किसी उपविभाजन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(G-1039)

संजीव केशव पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

नाम परिवर्तन

मैं, रामनंदन प्रसाद उर्फ रामनंदन पिता सूरज प्रसाद टेकनी. कै.वे.न.क.ज., उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.2, पाठक कॉलोनी, ग्राम हिरवारा, जिला कटनी म.प्र. शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि मेरा पूरा नाम रामनंदन प्रसाद पिता सूरज प्रसाद है जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों आधार कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि में दर्ज है. मेरे सर्विस में त्रुटिवश मेरा नाम रामनंदन दर्ज हो गया है उक्त दोनों के नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है तथा उक्त दोनों नाम का धारक मैं ही हूँ. अतः मेरे रेलवे रिकार्ड में मेरा नाम रामनंदन प्रसाद आत्मज सूरज प्रसाद दर्ज किया जावे तथा भविष्य में रामनंदन प्रसाद आत्मज सूरज प्रसाद के नाम से पढ़ा, लिखा, माना समझा एवं जाना जावे.

पुराना नाम

(रामनंदन)

नया नाम

(रामनंदन प्रसाद)

पिता सूरज प्रसाद.

(G-1040)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज कुमार मिश्रा पिता भवानी बक्ष मिश्रा, निवासी वार्ड नं. 11, राजीव गांधी वार्ड सुठालिया महु, राजगढ़ (म.प्र.) शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र चर्चित मिश्रा (CHARCHIT MISHRA) एवं पुत्री आर्ची मिश्रा (AARCHI MISHRA) की अंकसूचियों में मेरा नाम (पिता का नाम) त्रुटिवश मनोज/मनोज मिश्रा (MANOJ/MANOJ MISHRA) अंकित है जबकि मेरा सही नाम मनोज कुमार मिश्रा (MANOJ KUMAR MISHRA) है. अब से मेरे पुत्र एवं पुत्री की समस्त अंकसूचियों एवं शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरे सही नाम मनोज कुमार मिश्रा के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मनोज/मनोज मिश्रा)

नया नाम
(मनोज कुमार मिश्रा)
पिता भवानी बक्ष मिश्रा,
वार्ड-11, राजीव गांधी वार्ड सुठालिया,
महु, राजगढ़ (म.प्र.)

(G-1041)

नाम परिवर्तन

मैं, सुचित्रा सिंह पुत्री निरपत सिंह, निवासी ग्राम रगौली, पोस्ट रगौली, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. की मूल निवासिनी हूँ, मेरे समस्त शासकीय रिकार्ड जैसे-अंकसूची, आधारकार्ड, परिवार आईडी एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुचित्रा सिंह ही लेख है. मैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र में अपना नाम खुशबु के स्थान पर सुचित्रा सिंह लेख कराना चाहती हूँ.

अतः मुझे नये नाम सुचित्रा सिंह के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम
(खुशबु)

नया नाम
(सुचित्रा सिंह)
निरपत सिंह.

(G-1042)

नाम परिवर्तन

मैं, अवन्तिका सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम रगौली, पोस्ट रगौली, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. की मूल निवासिनी हूँ, मेरे समस्त शासकीय रिकार्ड जैसे-अंकसूची, आधारकार्ड, परिवार आईडी एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अवन्तिका सिंह ही लेख है. मैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र में अपना नाम मानसी सिंह के स्थान पर अवन्तिका सिंह लेख कराना चाहती हूँ.

अतः मुझे नये नाम अवन्तिका सिंह के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम
(मानसी सिंह)

नया नाम
(अवन्तिका सिंह)
महेन्द्र प्रताप सिंह.

(G-1043)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथगृहिता श्वेतिमा नेगी पिता महेन्द्र सिंह नेगी (MAHENDER SINGH NEGI) हैं। लेकिन त्रुटिवश कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम श्वेतिमा नेगी पिता श्री महेन्द्र सिंह नेगी (MAHINDER SINGH NEGI) दर्ज है।

लेकिन मेरा वास्तविक नाम श्वेतिमा नेगी पिता श्री महेन्द्र सिंह नेगी (MAHENDER SINGH NEGI) है।

अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(MAHINDER SINGH NEGI)

(महेन्द्र सिंह नेगी)

(G-1044)

नया नाम

(MAHENDER SINGH NEGI)

(महेन्द्र सिंह नेगी)

CHANGE OF NAME

I, Army No. 235144W Rank E.B.R. Name Bedi Lal Kachhi Son of Late Mulchand Kachhi, Village Biltara, Post Simaria, Teh. Patan, District Jabalpur. My Wife's Name Omati Bai in my Army Record which is registered as Rama Kachhi in his Aadhar Card and Voter Card.

Old Name

(OMATI BAI)

(G-1045)

New Name

(RAMA KACHHI)

नाम परिवर्तन

मैं, GANESH RAO DHOTE S/o RUNJYA JI DHOTE, निवासी- H.No. 44, TULSI VIHAR, PHASE-II, NEAR REGAL TOWN, AWADHWARI, BHOPAL (M.P.) का हूँ, यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम- GANESH RAO दर्ज है, जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम- GANESH RAO दर्ज है, उसके स्थान पर GANESH RAO DHOTE पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

(GANESH RAO)

(G-1046)

नया नाम

(GANESH RAO DHOTE)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह से पूर्व अलका व्यास पिता-वेणीशंकर व्यास था। विवाह के उपरान्त मैंने अपना नाम बदलकर अलका तिवारी पति आशीष तिवारी रख लिया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड में भी मेरा नाम अलका तिवारी दर्ज है। अतः मेरे अन्य सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नवीन नाम अलका तिवारी अंकित किया जावे एवं भविष्य में मुझे मेरे नवीन नाम अलका तिवारी से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

(अलका व्यास)

पिता-वेणीशंकर व्यास

(G-1047)

नया नाम

(अलका तिवारी)

पति-आशीष तिवारी

नाम परिवर्तन

मैं, REKHA BASANT VARADE W/o BASANT VARADE, निवासी- मकान नं. 72, अभिनव होम्स, फेस-2, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म.प्र.) की हूँ, यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम- REKHA VARADE दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम- REKHA BASANT VARADE दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम- REKHA VARADE दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम-REKHA BASANT VARADE पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(REKHA VARADE)

नया नाम

(REKHA BASANT VARADE)

(G-1048)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रागिनी पटेल पिता उम्मेदसिंह पटेल जिसके पिता का नाम मेरे अंकसूची व परिचय पत्र में त्रुटिवश "उमैंद्र सिंह" दर्ज हो गया था, जो त्रुटि सुधार कर लेने के पश्चात् "उम्मेद सिंह पटेल" हो गया है. अतः भविष्य में मेरे पिता का नाम उम्मेद सिंह पटेल ही जाना, पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों, मार्कशीट, परिचय पत्रों में मेरे पिता का सही नाम उम्मेद सिंह पटेल ही दर्ज किया जावे, पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(उमैंद्र सिंह पटेल)

नया नाम

(उम्मेद सिंह पटेल)

द्वारा रागिनी पटेल,

पिता उम्मेद सिंह पटेल,

पता-ग्राम सायता, वार्ड नं. 1, जनपद पंचायत
कसरावद, जिला खरगौन म.प्र.

(G-1049)

नाम परिवर्तन

मैं, राधा सराठे पत्नी श्री अमित सराठे, निवासी मोतीलाल नगर न्यू जेल रोड करोंद, भोपाल, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र वेदांश सराठे (Vedansh Sarathe) के विद्यालय रिकार्ड में उसका नाम वेदांश (Vedansh) एवं माता का नाम रानी दर्ज है. जो गलत है. सही नाम वेदांश सराठे (Vedansh Sarathe) माता का नाम राधा सराठे (Radha Sarathe) है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को वेदांश सराठे (Vedansh Sarathe) का नाम राधा सराठे (Radha Sarathe) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(वेदांश)

नया नाम

(वेदांश सराठे)

(G-1050)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गुंजन पटेल पत्नी श्री मुकेश पटेल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम गुंजन गुप्ता पुत्री श्री हरीदास गुप्ता है जो मेरी सभी शैक्षणिक शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू

रीति-रिवाज से श्री मुकेश पटेल के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती गुंजन पटेल पत्नी श्री मुकेश पटेल हो गया है. वर्तमान में श्रीमती गुंजन पटेल पत्नी श्री मुकेश पटेल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती गुंजन पटेल पत्नी श्री मुकेश पटेल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी.

पुराना नाम
(गुंजन गुप्ता)

नया नाम
(गुंजन पटेल)
पत्नी-श्री मुकेश पटेल,
पता-एच.सी. 17, पुराना सुभाष नगर,
जू-एल.आई.जी., अभिरूचि परिसर,
गोविन्दपुरा वार्ड 43, भोपाल.

(G-1051)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै. स्वाधीनता सैनानी गैस सेवा M-56, MR-4, रोड विजय नगर, जबलपुर (म. प्र.) फर्म है, जिसका पंजीयन क्र. 408/95-96, दिनांक 19-12-1995 है. जिसमें चार भागीदार.

1. यतीन्द्र मोहन करैया पिता स्व. श्री विश्वनाथ करैया, 2. राजेश कुमार भारिल्य पिता श्री रत्ती चंद्र जैन, 3. आशीष कुमार जैन पिता स्व. श्री विमल चन्द्र जैन, 4. सौरभ शुक्ला पिता श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला है.
2. उक्त भागीदारों में से यतीन्द्र मोहन करैया अपनी अधिक उम्र होने के कारण अपने पुत्र सुरेन्द्र करैया को अपनी भागीदारी अंश सौंप रहे हैं. अब फर्म में सुरेन्द्र करैया को भागीदार की हैसियत से सम्मिलित किया गया तथा भागीदार सौरभ शुक्ला अपने पारिवारिक कारणों से फर्म की भागीदारी से त्याग पत्र दे रहे हैं.

स्वाधीनता सैनानी गैस सेवा,
(राजेश कुमार भारिल्य),
(भागीदार)

(G-1052)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र अभिषेक कुशवाह के आधार कार्ड नं. 9955 2216 3827 में विशाल पिता श्री शिवनारायण अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि उसका सही नाम अभिषेक कुशवाह पिता श्री बने सिंह कुशवाह है जो कि सही एवं सत्य है. अब अपने पुत्र के नाम को संशोधित करवाकर उसका नाम अभिषेक कुशवाह पुत्र श्री बने सिंह कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(विशाल)
पिता श्री शिवनारायण.

नया नाम
(अभिषेक कुशवाह)
पिता बने सिंह कुशवाह.

(G-1053)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्षिका एंजल शर्मा (LAKSHIKA ANGEL SHARMA) पुत्री सोमेश शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पूर्व का नाम एंजल कुमारी (ANGEL KUMARI) था. जो मेरे बर्थ सर्टिफिकेट, सी.बी.एस.ई. बोर्ड की मार्कशीट, आधारकार्ड एवं अन्य

प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैंने अपना नाम लक्षिका एंजल शर्मा कर लिया है तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम लक्षिका एंजल शर्मा के नाम जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. एंजल कुमारी और लक्षिका एंजल शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम
(एंजल कुमारी)

नया नाम
(लक्षिका एंजल शर्मा)
पुत्री-सोमेश शर्मा,
डी-64, साई सदन बसंत बिहार,
पड़ाव, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1054)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म श्री जटाशंकर डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स, पता बी-7, विजयनगर, दमोह के नाम से पंजीकृत है, जिनमें चार पार्टनर निम्नानुसार थे—(1) महेश कुमार राय पिता स्व. श्री गनेश प्रसाद राय, (2) बलविंदर सिंह गांधी पिता श्री गुरुचरण सिंह गाँधी, (3) विनोद कुमार बाधवा पिता श्री मस्वरूप बाधवा, (4) विजय कृष्ण त्रिपाठी पिता श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, सभी निवासी दमोह के हैं. इनमें से चतुर्थ पार्टनर विजय कुमार त्रिपाठी पिता श्री गौरीशंकर त्रिपाठी, निवासी मागंज वार्ड नं.-5, दमोह अपने निजी कारणों से फर्म से बाहर हो रहे हैं. अब फर्म में कुल पार्टनर की संख्या 3 रहेगी.

Shree Jatashankar Developers And Builders,
(मुकेश कुमार)
(Partner)
पता-बी-7, विजयनगर,
दमोह (म.प्र.).

(G-1055)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स RELIABLE DIAGNOSTIC CENTRE जिसका पंजीयन क्रमांक-02/42/01/0111/19, दिनांक 19-07-2019 है. जो A-24, Rajpayga Road First Filor Premy Complex, Opp. Madav D, Gwalior में स्थित है. जिसमें दिनांक 01-09-2022 को भागीदार श्री आलेख सक्सेना (ALEKH SAXENA) पुत्र मुकेश सक्सेना, निवासी 306, सनराईस अपार्टमेंट जटार गली, लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 01-09-2022 को आंचल सक्सेना (AANCHAL SAXENA) पत्नी आलेख सक्सेना, निवासी 306, सनराईस अपार्टमेंट जटार गली लक्ष्मीगंज, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

M/s. RELIABLE DIAGNOSTIC CENTRE,
DISHEBH GUPTA,
(Partner)
A-24, Rajpayga Road First Filor
Premy Complex, Opp. Madav D, Gwalior.

(G-1056)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स व्ही टू सेल्स जो 244, सोनी कॉलोनी, गुना म.प्र. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/40/01/0012/19, दिनांक 08-04-2019 है, जिसमें दिनांक 31-03-2023 को भागीदार वर्षा आनंद कुमार तिवारी पुत्री श्री आनंद कुमार तिवारी, निवासी 244, सोनी कॉलोनी, गुना म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई है एवं इसी दिनांक 31-03-2023 को श्री सौरभ त्रिवेदी पुत्र श्री राम किशोर त्रिवेदी, निवासी न्यू कॉलोनी, ग्राम जामनेर, गुना म.प्र. फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो गए हैं एवं इसी दिनांक 31-03-2023 को फर्म का मुख्य कार्यालय 244, सोनी कॉलोनी, गुना म.प्र. से परिवर्तित कर नवीन स्थान म.नं. 15/255, आर्शीवाद हॉस्पिटल रोड, चौधरन कॉलोनी, गुना म.प्र. हो गया है.

मैसर्स व्ही टू सेल्स,
(राहुल त्रिवेदी)
(भागीदार).

(G-1057)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एएसआर इंटरप्राइजेज भवन क्र 50 वार्ड नं. 32, पैराडाइस कॉलोनी, पन्ना मार्ग, छतरपुर, तहसील छतरपुर जिला-छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/01/0136/18 पंजीयन दिनांक 25-01-2018 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें अश्विनी कुमार द्विवेदी, सविता द्विवेदी, संदीप दीक्षित एवं हेमलता पाठक भागीदार थे और दिनांक 02-11-2022 को हेमलता पाठक ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गई और आज दिनांक 03-11-2022 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं अश्विनी कुमार द्विवेदी, सविता द्विवेदी एवं संदीप दीक्षित.

M/s ASR ENTERPRISES,
(अश्विनी कुमार द्विवेदी)
(भागीदार).

(G-1058)

नाम परिवर्तन

मैं, दीपा दुबे पिता श्री विमलेश दुबे, निवासी प्रोफेसर कॉलोनी, कुबर भवन के पीछे, करमेता, जबलपुर म.प्र. मेरा वास्तविक व प्रचलित नाम दीपा दुबे है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिचय पत्र कक्षा 10वीं, 12वीं की अंकसूची एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है.

अतः अब मैं भविष्य में दियाशा दुबे के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी. अतः जहाँ कहीं भी मेरा नाम दीपा दुबे दर्ज है उसे दियाशा दुबे पढ़ा एवं मान्य किया जावे. अतः मेरा नाम परिवर्तन दीपा दुबे पिता विमलेश से दियाशा दुबे पिता विमलेश दुबे नाम से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(दीपा दुबे)

नया नाम

(दियाशा दुबे)

(G-1059)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेज भवन क्र. 04 वार्ड नं. 34 स्टेडियम के सामने, पन्ना रोड, छतरपुर, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/01/0027/20, पंजीयन दिनांक 10-07-2020 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें उषा महतों, प्रदीप महतों, प्रतीक महतों एवं सुरभि महतों भागीदार थे और दिनांक 31-03-2022 को सुरभि महतों ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गयी हैं और आज दिनांक 01-04-2022 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं. उषा महतों, प्रदीप महतों एवं प्रतीक महतों.

मेसर्स-सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेज,
(उषा महतों)
(भागीदार).

(G-1060)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-हर्ष मिनरल्स भवन क्र. 381 क्षेत्र क्र. 01 वार्ड क्र. 14 तकिया मोहल्ला मीना बाजार, नौगाँव, तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/03/0081/22, पंजीयन दिनांक 14-12-2022 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें मनीष कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गुप्ता एवं सुनील कुमार गुप्ता, भागीदार थे और दिनांक 07-03-2023 को राकेश कुमार गुप्ता एवं सुनील कुमार गुप्ता ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 07-03-2023 को साकेत तिवारी एवं दीपक शर्मा फर्म में शामिल हो गए हैं. आज दिनांक 07-03-2023 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार है मनीष कुमार अग्रवाल, साकेत तिवारी एवं दीपक शर्मा.

मेसर्स हर्ष मिनरल्स,
(मनीष कुमार अग्रवाल)
(भागीदार).

(G-1061)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स-आशीर्वाद इन्फ्रास्ट्रक्चर भवन क्र. 11, वार्ड नं. 37, विराज मैरिज हाउस के पास सागर रोड, छतरपुर, तहसील छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 06/12/01/00091/14 पंजीयन दिनांक 15-09-2014 को गठित होकर पंजीयत हुई जिसमें मनीष रिछारिया एवं आशीष रिछारिया भागीदार थे और दिनांक 31-08-2022 को मनीष रिछारिया ने अपनी स्वेच्छा से फर्म से बाहर हो गये और दिनांक 31-08-2022 को बाल कृष्ण रिछारिया एवं रानी देवी रिछारिया फर्म में शामिल हो गए हैं. आज दिनांक 01-09-2022 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार है आशीष रिछारिया, बाल कृष्ण रिछारिया एवं रानी देवी रिछारिया.

मेसर्स आशीर्वाद इन्फ्रास्ट्रक्चर,
(आशीष रिछारिया)
(भागीदार).

(G-1062)

नाम परिवर्तन (संशोधित)

मैं, प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सियाराम शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि 19 नवम्बर 2021 (G-775) को गजट प्रकाशन में त्रुटि के कारण प्रकाश शर्मा के स्थान पर प्रकाश कुमार शर्मा हो गया है। इस प्रकाशन के उपरांत उसे प्रकाश कुमार शर्मा के स्थान पर प्रकाश शर्मा लिखा, पढ़ा और पुकारा जाए आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम
(प्रकाश कुमार शर्मा)

नया नाम
(प्रकाश शर्मा)
पुत्र—श्री सियाराम शर्मा,
पता—ग्राम व पोस्ट प्रपोध,
तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.).

(G-1063)

नाम परिवर्तन

मैं, तरन्नुम खान पुत्री श्री ताज मोहम्मद खान, निवासी हाल प्लेट नं. 403, ईएम-33 आईबीडी सिटी हाल मार्क, मदर टेरेसा स्कूल के सामने कोलार रोड, भोपाल म.प्र. की हूँ। मेरी मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम तरन्नुम खान (TARNNUM KHAN) है और मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम तनु पवार (TANU PAWAR) नाम दर्ज है। भविष्य में भी तरन्नुम खान (TARNNUM KHAN) से तनु पवार (TANU PAWAR) पत्नि मुकेश पवार के नाम से जानी पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम
(तरन्नुम खान)
पता—आर्यपुरा कम्पनी, गार्डन,
टिकारी बैतूल.

नया नाम
(तनु पवार)

(G-1064)

नाम परिवर्तन

मैं, सृष्टि अवस्थी पुत्री श्री राजेश अवस्थी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र में मेरा नाम सृष्टि अवस्थी अंकित है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम हैं, अतः मेरा नाम कुमारी बुलबुल के स्थान पर सृष्टि अवस्थी नाम पढ़ा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम
(कुमारी बुलबुल)

नया नाम
(सृष्टि अवस्थी)
निवासी—मकान नंबर—64, कमाली मंदिर रोड,
घोड़ा नक्कास, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1065)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s SUNRISE BUILDERS & DEVELOPERS" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/00054/12 — 2012-2013 Bhopal dated of Registration 16/05/2012 undergone the following changes :-

1. That Shri Jaswant Singh S/o Shri Mathuri Singh and Shri Om Prakash Yadav S/o Shri Ramesh Chandra Yadav has desire to retire from the partnership firm and Shri Shubham Singh

S/o Shri Rajendra Singh has expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them. And Carporate Address of the firm has Shifted at H S.-2, M ehta C om plex, D -Sector, N ehru N agar, B hopal M .P. w .e.f. 01-04-2019.

2. That Shri Man Singh S/o Shri Chandan Singh has desire to retire from the partnership firm And Carporate Address has Shifted at House No-26, Whispring Palms, Kerwa Road, Bhopal M.P. w.e.f. 01-04-2023.

For-"M/s SUNRISE BUILDERS & DEVELOPERS",

RAJENDRA SINGH

(Partner).

(G-1066)

PUBLIC NOTICE

ADMISSION OF PARTNERS M/s SAPPHERE HOSPITALITY INC a partnership firm registered with the Registrar of Firms, Indore, *vide* a registered partnership deed with S.No:01/01/01/0397/22 dated 20/12/2022. Hereby informed that who are having any transactions with above said firm now and in further they should contact with the partner 1) Abdul Tahir, 2) Peeyush Verma, 3) Mohan Alchandani and 4) Arsalan Tahir. The general public is hereby informed that M/s. SAPPHERE HOSPITALITY INC is a partnership firm which was reconstituted on 01/10/2022 due to addition/inclusion of the partner. 1) Arsalan Tahir, by virtue of Partnership deed executed amongst them on 01/10/2022. The Incoming partners agreed to join the above mentioned firm with Abdul Tahir, Peeyush Verma and Mohan alchandani with the all rights, title, lien, easements, advantages and appurtenances etc. By this notice 1) Abdul Tahir, 2) Peeyush Verma, 3) Mohan Lalchandani and 4) Arsalan Tahir informs the public in general that, they are the only partners of M/s SAPPHERE HOSPITALITY INC, and who are having any transactions with above said firm now and in further they should contact us.

M/s SAPPHERE HOSPITALITY INC.

(MOHAN LAL CHANDANI)

(Partner).

(G-1067)

CHANGE OF NAME

I, was known as AMARLAL SACHANAND, AMARLAL SACHANAND CHUGH, AMARLAL, AMAR CHUG. I have changed my name to AMAR LAL CHUGH. Henceforth I shall be known as AMAR LAL CHUGH for all future purposes.

Old Name

(AMARLAL SACHANAND)
AMARLAL SACHANAND CHUGH,
AMARLAL , AMAR CHUG.

New Name

(AMAR LAL CHUGH)
Address:- 135, Palsikar Colony,
Indore (M.P.).

(G-1068)

PUBLIC NOTICE

General Public is informed that M/s Ashirwad Enterprises, a partnership firm whose registration number is 03/27/03/00030/04 and registration date is 18th June, 2004 and registered address was E.F. -14, Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh district Indore in which there were eight partners at the time of Amendment dated 1st April, 2012, which were: (1) Mahendra Singh Namdev S/o Harpal Singh,

(2) Mamta Singh D/o Mr. Omprakash Verma, (3) Mukesh Kumar Namdev S/o Harpal Singh, (4) Amit Singh Namdev S/o Mahendra Singh Namdev, (5) Anita Singh W/o Shri Mahendra Singh, (6) Kasturi Bai W/o Shri Harpal Singh, (7) Manisha Namdev W/o Mr. Mukesh Kumar, (8) Harendra Singh S/o Sharda Prasad Singh in which the following were.

Incoming Partner

Year 2012 (1) Avtar Singh Bhatia
S/o Mr. Gokul Singh Bhatia.
(2) Khushwant Singh Bhatia
S/o Mr. Surendra Singh Bhatia.

Outgoing Partner

(1) Mamta Singh
D/o Mr. Omprakash Verma
(2) Anita Singh W/o Shri Mahendra Singh
(3) Manisha Namdev W/o Mr. Mukesh Kumar
to which the remaining partner had given
their consents, which leads to total of seven
partners after Amendment. Afterwards,
the deed got Amended dated 1st April, 2016
in which the following were.

Incoming Partner

Year 2016 (1) Ashirwad Cinevision Private Limited

Outgoing Partner

(1) Avtar Singh Bhatia S/o Mr. Gokul Singh Bhatia
(2) Khushwant Singh Bhatia S/o Mr. Surendra
Singh Bhatia to which the remaining partner
had given their consents which leads to total
of six partners after Amendment Afterwards,
the deed got again Amended dated
3rd May, 2022 in which the following were
incoming partner as the legal heirs of Died
partner:

Incoming Partner (Legal Heirs)

Year 2022 (1) Anita Singh
W/o Late Mahendra Singh.
(2) Aditya Singh Namdev
S/o Late Mahendra Singh Namdev
(3) Aryaman Singh S/o Late Mahendra Singh Namdev
to which the remaining partner had given their
consents, which leads to total of nine partners after
Amendment.

Deceased Partner

(1) Mahendra Singh Namdev S/o Harpal Singh

Also the Head Office of the firm changed from
address: E.F.-14 Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore,
Madhya Pradesh to New Address : Ashirwad Heights,
EF-23, Scheme-54, Vijay Nagar, Indore-452010
to which the partners had given their consent.

For-M/s Ashirwad Enterprises.

(HARENDRA SINGH)

(Partner).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित हो कि विवाह के पूर्व का नाम राखी पुत्री श्री रमेश कुमार बलवानी है तथा मेरा बोलता नाम रेखा/रेखाबेन भी है, उपरोक्त उक्त वर्णित नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं। सामाजिक रीति रिवाज अनुसार विवाह उपरांत मेरा नाम परिवर्तन होकर कांची तनवानी पत्नी श्री शैलेन्द्र तनवानी संबोधित एवं प्रचलित है। अतः शादी के बाद के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम कांची तनवानी को मान्य किया जाये।

पुराना नाम

(राखी/रेखा/रेखाबेन बलवानी)

पुत्री-श्री रमेश कुमार बलवानी.

नया नाम

(कांची तनवानी)

पत्नी-श्री शैलेन्द्र तनवानी,

निवासी- फ्लेट नं. 5, ब्लॉक 310,

सीता-गीता अपार्टमेंट, ईदगाह हिल्स, भोपाल.

(G-1070)

CHANGE OF SURNAME

I, Gaurav Deria hereby declare that, in my policy my name is written Gaurav Jain and in other of my all documents my name is written Gaurav Deria. So from now and in future always in all of Government and non-governmental documents my only one name Gaurav Deria will be written and read for all purposes.

Old Name

(GAURAV JAIN)

New Name

(GAURAV DERIA)

Ukhri Road, Anand Colony,

Cherital, Jabalpur M.P.

(G-1071)

नाम परिवर्तन

मैं, रामकृष्ण (RAMKRISHNA) पिता श्री डालचंद, निवासी-क्वा. नंबर 3057, टाइप वन आयुध नगर, इटारसी, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं, वर्तमान में आर्डिनेंस फ़ैक्ट्री इटारसी में चार्जमेन ग्रेड 02 के पद पर कार्यरत हूँ, जिसका पर्सनल नंबर 914516 है। मेरे आधारकार्ड में नाम रामकृष्ण (RAMKRISHAN) दर्ज हो गया है जो गलत है मेरा सही नाम रामकृष्ण (RAMKRISHNA) है। मैं, अपनी सर्विस रिकार्ड में अपना नाम रामकृष्ण (RAMKRISHAN) के स्थान पर रामकृष्ण (RAMKRISHNA) सुधार करवाना चाहता हूँ। अपने गलत नाम रामकृष्ण (RAMKRISHAN) के स्थान पर सही नाम रामकृष्ण (RAMKRISHNA) करवाकर सुधार करवाने के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

पुराना नाम

(रामकृष्ण)**(RAMKRISHAN)**

पिता-श्री डालचंद

नया नाम

(रामकृष्ण)**(RAMKRISHNA)**

पिता-श्री डालचंद

(G-1072)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम SHAHAJI RAO CHAVAN S/O SONYA BAPU RAO CHAVAN है, जो कि मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेज में दर्ज है, किन्तु भूलवश मेरे पी.पी.ओ. में मेरा नाम की स्पेलिंग

SHAHJI RAO CHAVAN एवं डिस्चार्ज बुक में SHAHAJI RAO CHAVAN S/o SONYA CHAVAN दर्ज हो गयी है एवं कक्षा 10वीं की मार्कशीट में SHAHJI RAO CHAVAN S/o SONYA BAPOO RAO CHAVAN दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पी.पी.ओ. एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरे नाम की सही स्पेलिंग SHAHAJI RAO CHAVAN S/o SONYA BAPU RAO CHAVAN पढ़ी-लिखी एवं दर्ज की जावे.

पुराना नाम

(SHAHJIRAO CHAVAN/
SHAHAJIRAO CHAVAN)

(G-1073)

नया नाम

(SHAHAJI RAO CHAVAN)
S/o SONYA BAPU RAO CHAVAN
R/o FAUJI COLONY NADARIYA
MATA KE PASS GUDA GUDI KA NAKA,
GWALIOR (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अजय कुमार यादव पिता श्री लाला यादव है. मेरा पता-वार्ड नं. 11 गांधी मोहल्ला, मेन रोड के पास तहसील-परासिया, जिला छिन्दवाड़ा है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व आधारकार्ड, पेनकार्ड में भी मेरा नाम अजय कुमार यादव दर्ज है. जो सही है. मैं इंडियन आर्मी में पदस्थ रहा और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ. मेरे रिकार्ड ऑफिस एवं पीपीओ में व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटीवश अजया कुमार यादव हो गया है. जिसे मेरा सही नाम अजय कुमार यादव पढ़ा एवं जाना जावे जो सही है. मेरे एक शैक्षणिक दस्तावेज में भी त्रुटि सुधार हो गया है. अतः मेरा सही नाम अजय कुमार यादव पिता लाला यादव है जिसे रिकार्ड में भी सुधारकर दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अजया कुमार यादव)
(AJYA KUMAR YADAV)

पिता-श्री लाला यादव.

(G-1074)

नया नाम

(अजय कुमार यादव)
(AJAY KUMAR YADAV)

पिता श्री लाला यादव.

नाम परिवर्तन

मैं, सुभद्रा देवी पत्नि राजधर नि. राजीव गाँधी वार्ड ब्लॉक ऑफिस के पास बीना, जिला सागर (म.प्र.) की हूँ. मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुभद्रा देवी (SUBHADVA DEVI) है व अन्य शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सुभद्रा देवी (SUBHADRA DEVI) है. सुभद्रा देवी (SUBHADVA DEVI) से अंग्रेजी में स्पेलिंग सही कर भविष्य में मेरा नाम सुभद्रा देवी (SUBHADRA DEVI) के नाम से जानी, पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम

(सुभद्रा देवी)
(SUBHADVA DEVI)

(G-1075)

नया नाम

(सुभद्रा देवी)
(SUBHADRA DEVI)
नया पता-राजीव गाँधी वार्ड, ब्लॉक ऑफिस के पास
बीना, जिला सागर (म.प्र.)**CHANGE OF NAME**

I, Kanak Lakhani W/O Mr. Suresh Lakhani R/o A-7, Ward No.03, Old CRP, Near Gurudwara, Bairagarh, Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Nishita Kandhari D/o Mr. Haridas Kandhari. I got married according to Hindu customs with Mr. Suresh Lakhani & after Marriage my name has been changed as Mrs. Kanak Lakhani W/o Mr. Suresh Lakhani, after marriage, I known as Mrs. Kanak Lakhani W/o Mr. Suresh Lakhani for all purposes on every records.

Old Name

(NISHITA KANDHARI)
(G-1076)

New Name

(KANAK LAKHANI)

नाम परिवर्तन

मैं, विष्णु प्रसाद आ. श्री बंशीलाल बंसल, निवासी 7/15, मैनिट केम्पस, भोपाल (म.प्र.) का हूँ, मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विष्णु प्रसाद (VISHNU PRASAD) हैं और कुछ अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम वी. पी. बंसल (V. P. BANSAL) नाम दर्ज हैं. मेरा नाम विष्णु प्रसाद एवं वी. पी. बंसल (V. P. BANSAL) दोनों मेरे ही नाम हैं. भविष्य में विष्णु प्रसाद बंसल (VISHNU PRASAD BANSAL) के नाम से जाना, पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम
(विष्णु प्रसाद)
(VISHNU PRASAD)
(एवं वी. पी. बंसल) (V. P. BANSAL)

नया नाम
(विष्णु प्रसाद बंसल)
(VISHNU PRASAD BANSAL)
नया पता-105, बृम्हपुरी, नीलबड़, भोपाल.

(G-1077)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सौंसर, जिला छिंदवाडा

उदघोषणा

रा.प्र.कं. 01/बी-113/2023-24
मौजा.सौंसर प0ह0न0 18
तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, न्यासकर्ता महासचिव पुनित पोस्ते निवासी वार्ड नं. 7 सौंसर तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा द्वारा श्री वीरशैव (लिंगायत) वाणी समाज सौंसर तहसील सौंसर जिला छिंदवाडा के द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951क-30 की धारा 4 के अंतर्गत) के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2023 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि तक या उसके पूर्व मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांक गत् होने के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं लिया जावेगा।

आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

जारी दिनांक 02.06.2023
पेशी दिनांक 15.06.2023

(G-1078)

श्रेयांस कुमट, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 991-रीडर-1-23

जूनी इन्दौर, दिनांक 1 जून 2023

विज्ञप्ति (फार्म चार)

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अर्न्तगत

आवेदक लायंस मानव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट पता-10, ज्ञानपार्क, टेलीफोन नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक लायंस मानव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट पता-10, ज्ञानपार्क, टेलीफोन नगर, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :-25,000/-।

आज दिनांक 1 / 6 / 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया । /

(G- 1079)

क्र. 735-रीडर-1-23

जूनी इन्दौर, दिनांक 4 मई 2023

विज्ञप्ति (फार्म चार)

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अर्न्तगत

आवेदक अखिल नामदेव समरज कल्याणचेरिटेबल ट्रस्ट पता-जे-1, एल. आई. जी. कालोनी, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक अखिल नामदेव समरज कल्याणचेरिटेबल ट्रस्ट पता-जे-1, एल. आई. जी. कालोनी, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :-30,000/-।

आज दिनांक 04 / 05 / 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया । /

(G- 1080)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, सागर, मध्यप्रदेश

क्र. 2835-री-3-अ.वि.अ.-2023

सागर, दिनांक 12 मई 2023

[प्रारूप चार नियम 5(1) देखिए]

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1952 का नियम 5 (1) देखिए।

चूंकि, श्री माँ हरसिद्धी देवी बाघराज मंदिर समिति बाघराज वार्ड सागर तह0 व जिला सागर की ओर से श्री रमेश कुमार चंदेल पिता राधाबल्लभ चंदेल निवासी पंडापुरा बाघराज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर ने म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 (3) के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तहर विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 12/05/2023 को विचार के लिए लिया गया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं विजय कुमार डेहरिया अधिकारी सागर जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 14/06/2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या उक्त संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता -

न्यास का नाम - श्री माँ हरसिद्धी देवी बाघराज मंदिर समिति ट्रस्ट बाघराज वार्ड सागर तहसील व जिला सागर

श्री माँ हरसिद्धि देवी बाघराज मंदिर की सम्पूर्ण चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा

सामग्री का नाम	सामग्री का अनुमानित वजन	अनुमानित कीमत
सोने के जेवर	(आर्टिफिशियल)	
03 मंगल सूत्र	12 आना	48000 / -
03 नथ	04 आना	12800 / -
चांदी के जेवर (आर्टिफिशियल)		
03 हार	250 ग्राम	9500 / -
01 छत्र	250 ग्राम	10500 / -
01 छत्र	500 ग्राम	20000 / -
01 छत्र	050 ग्राम	2000 / -
01 छत्र	050 ग्राम	3000 / -
03 मुकुट	500 ग्राम	20000 / -
01 मुकुट	125 ग्राम	4700 / -
01 मुकुट	050 ग्राम	2000 / -
01 मुकुट	500 ग्राम	20000 / -
01 चबर	250 ग्राम	10500 / -
01 कीट	250 ग्राम	8500 / -
ताबा का सामान		
01 मुखौटा	05 किलो	1500 / -
काँसा का सामान		
02 झालर	06 किलो	1800 / -
पीतल का सामान		
01 बड़ा घंटा	101 किलो	30300 / -
02 घंटा	45 किलो	13500 / -
01 घंटा	21 किलो	6300 / -
02 घंटा	05 किलो	1500 / -
01 घंटा	05 किलो	1500 / -
01 घंटा	सवा किलो	450 / -
02 गदा	11 किलो	3300 / -
अन्य सामग्री - नग		
लोहे कीपलंग पेटी	02 नग	2500 / -
लोहे कीअलमारी	03 नग	7500 / -
माँ के रजाई गद्दा		
एलमोनियम के गंज बड़े + छोटे	02 नग	1600 / -
	02 नग	800 / -
स्टील की थालियां	10 नग	1000 / -
गैस सिलेंडर	01 नग	1500 / -
गैस चूल्हा	02 नग	1000 / -
स्टील - लोटा गिलास, काटोरी	11 नग	500 / -

लोटे की कढ़ाई छोटी+बड़ी	02 नग	750/-
इलेक्ट्रिक आरती मशीन	01 नग	1700/-
हारमोनियम	01 नग	1500/-
ढोलक	01 नग	1000/-
झूला	02 नग	200/-
मंजीरा	01 जोड़ी	75/-
एम्पलीफायर सेट	02 नग	3000/-
माँ की पोशाखें	40 नग	40000/-
माँ की साड़ी	03 नग	750/-
पटा+पटली	04 नग	300/-
कपड़े के चंदेवा लोहे की तिजोरियां	02 नग बड़ी 04 नग छोटी	5000/-
सीलिंग फैन	04 नग 02 नग	5200/-
रामायण जी	02 नग	100/-
शंख	01 नग	500/-
नारियल फोड़ने की मशीन	01 नग	3500/-
सीसीबीटी कैमरे+डी.बी. आर.	07 नग +01 नग	5000/-
बिजली मीटर	03 नग	
बड़ी गाये :+ छोटीगाये	03 नग + 02 नग	20000/- 5000/-
अखाड़ा का सामान		
वेट लिफ्टिंग मशीन	01 नग	3500/-
वेट प्लेट (बड़ी) छोटी	02 नग 10 नग	1350/-
बड़ी वेट राड	02 नग	325/-
छोटी वेट राड	03 नग	
मुगदर (लकड़ी)	02 नग	200/-
तलवारे	02 नग	300/-
भाला	01 नग	100/-
ढाल	02 नग	150/-
लाठी	10 नग	170/-
लेझम	12 नग	850/-
पटा	01 नग	80/-
ढेला	02 नग	90/-
खुली जगह में वृक्षा रोपड़		
60 यूके लिप्टिस, 02 अमरूद, 03 खिन्नी, 08 सिरस, 01 बरिया, 07 नीम, 01 पाम, 10 चिरोल, 02 गुलमोहर, 05 पीपल, 30 शीशम, 06 बेल, 03 बेरी, 04 आंवला, 03 बमूरा, 01 आम, 02 कदम, 03 अशोक, 02 शमी, 02 फलमण्डी 04 सरस, 01 कट चंदन, लगभग सभी वृक्ष मौजूद		
ग्राम बगौधा तह0 प0ह0न0 05 बण्डा जिला सागर में स्थित		

खसरा नं० 36/1/2 रकवा 0.40 हे० कृषि भूमि अनुमानित राशि	200000 / -
माँ हरसिद्धि देवी का (नया) राजमंदिर अनुमानित राशि 57 X 58	7000000 / -
यक्ष शाला 26 x 26 अनुमानित राशि	150000 / -
मानस भवन (नया) 15 x 49	441000 / -
मंदिर की धर्मशाला 45 x 90 अनुमानित राशि	1215000 / -
बाबा कुटी (भवन)	5000 / -
श्री राम कुटी (भवन) 14 x 17	71400 / -
बाघद्वार चबूतरा 10 x 10	30000 / -
मंदिर की प्राचीन गुफा	10000 / -
श्री शिव + पार्वती मंदिर 14 x 14	98000 / -
श्रीहनुमान जी का मंदिर 42 x 42	842000 / -
श्री राधा कृष्ण का मंदिर 4 x 4	8000 / -
श्री शनिदेव जी मंदिर एवं परिसर 5 x 5	52500 / -
श्री भैरव बाबा मंदिर 12 x 12	72000 / -
श्री हरदौल की मंढिया	5000 / -
अचल सम्पत्तियां	अनुमानित राशि
गौ-शाला भवन	35000 / -
जवारे भवन - अखण्ड ज्योति भवन	738000 / -
नया सामुदायिक भवन	2500000 / -
विशाल मेन गेट (42सीढ़ियां)	300000 / -
माँ हरसिद्धि के सामने कोटा स्टोन 80 x 70	235000 / -
दो ट्यूबवेल मय समर्सिबलपंप सहित	115000 / -
प्लास्टिक की टंकी पानी 2 नग	15000 / -
	12,29,8535 / -
यूको बैंक में समिति का खाता में राशि चालू खाते में राशि 894032=55 पैसा सेविंग खाते में राशि 26403=59 पैसे	

पेशी दिनांक 14/06/2023

जारी दिनांक 12/05/2023

विजय कुमार डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-1081)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड-जावरा,
जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 2314-रीडर-3-2023

जावरा, दिनांक 9 मई 2023

आवेदक श्री अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ग्राम सेमलिया (कालूखेडा) तहसील पिपलौदा, द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 4 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के तहत प्रस्तुत कर श्री अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ग्राम सेमलिया (कालूखेडा) तहसील पिपलौदा का ट्रस्ट पंजीयन एवं नवीन कार्यकारिणी गठित करने का निवेदन किया है।

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|
| (1) | न्यास का पुरा नाम | - | श्री अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट ग्राम सेमलिया (कालूखेडा) तहसील पिपलौदा |
| (2) | चल सम्पत्ति का विवरण | - | निरंक |
| (3) | अचल सम्पत्ति का विवरण | - | निरंक |

(G- 1082)

हिमांशु प्रजापति, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्दौर क्षेत्र,
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. 731-रीडर-1-22

इन्दौर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

विज्ञप्ति (फार्म चार)

मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व

मध्य प्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत

बिलीवर्स ब्रेथरन असेम्बली ट्रस्ट पता-आर-470-471, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण)

बिलीवर्स ब्रेथरन असेम्बली ट्रस्ट पता-आर-470-471, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर

अचल संपत्ति :- निरंक ।

चल संपत्ति :- निरंक ।

→ आज दिनांक

को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(G- 1083)

अंशुल खरे, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, मो. शाहिद खान, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पाटन, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

(म0प्र0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951)

॥लोक सूचना ॥

प्रकरण क्रमांक-...15बी-121 /2022-23

आवेदक श्री शिवशंकर मंदिर लोक कल्याण न्यास कटंगी द्वारा सदस्यगण की ओर से श्री प्रशांत मिश्र, श्री एच0एन0पटेल अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि श्री शिवशंकर लोक कल्याण न्यास कटंगी तहसील पाटन जिला जबलपुर लोक न्यास पंजी के क्रमांक-74 पर दर्ज है।

उक्त न्यास के प्रबंध न्यासी श्री डब्लु रैकवार पिता बसोरे लाल रैकवार की मृत्यु दिनांक 09.07.2019 को होने के फलस्वरूप उक्त मृत प्रबंध न्यासी के स्थान पर श्री मदन लाल सोनी का नाम प्रबंध न्यासी के रूप दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्ताव दिनांक 19.02.2020, लोक न्यास पंजी की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति, प्रस्ताव, अधिवक्ता पत्र सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार श्री शिवशंकर मंदिर लोक कल्याण न्यास कटंगी के मृत प्रबंध न्यासी स्व0 श्री डब्लु रैकवार के स्थान पर श्री मदन लाल सोनी पिता स्व0 टीकाराम सोनी, निवासी म0नं0 19 जमनोत्री विंग जानकी नगर जबलपुर का नाम प्रबंध न्यासी के रूप में दर्ज किये जाने के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति स्वयं उपस्थित होकर अथवा वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से नियत दिनांक 30.05.2023 को अथवा नियत दिनांक के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

नियत दिनांक 30.05.2023

जारी दिनांक 02.05.2023

मो. शाहिद खान, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट.

(G-1084)

अन्य सूचनाएं

उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला देवास

मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत

उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ जिला देवास के द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन मे लाया जाकर म.प्र.सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	परिसमापन मे आने का क्रमांक एवं दिनांक
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.रेवाडी	1575 / 30.06.2015	1154 / 11.04.2023
2	अभिनन्दन साख सहकारी संस्था मर्या.देवास	1628 / 13.06.2017	1149 / 11.04.2023
3	अमर महिला प्राथ.उप.सह.भण्डार मर्या.देवास	1110 / 29.10.2005	1151 / 11.04.2023
4	भारतीय प्राथ.उपभोक्ता सह.भण्डार मर्या.देवास	715 / 31.12.1990	1150 / 11.04.2023
5	मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या.जैतपुरा	898 / 13.06.2000	1156 / 11.04.2023

सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तिया परिसमापक मे वेष्टित हो गई है। अतः म.प्र.सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के विरुद्ध दावों की सूचना पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता 320 पटवर्धन पेट्रोल पंप के पास ए.बी.रोड देवास मे कार्यालयीन दिवसों मे समय 12.00 से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करे। त्रुटि की दशा मे साहूकारगण/दावेदक्षण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तिया मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों मे लेखाबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तिया समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारी/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों मे दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टिया बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी। यह सूचना आज् दिनांक 17.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्र से जारी की गई।

बी.एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1085)

कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता, जबलपुर

क्र. 3 आस-परि-2023-535

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2023

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जबलपुर के आदेशों द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	जगन्तरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	33	1547 / 7.5.1999
2	गजानन गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	164	42 / 11.1.2000
3	रानी दुर्गावती गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	89	1030 / 11.5.2000
4	शंकरगढ़ बिड़ी मजदूर गृह निर्माण सह. समिति मर्या.जबलपुर	208	2117 / 22.8.2000
5	दि विकास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	171	2064 / 12.8.2015
6	एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	1606	968 / 31.3.2016
7	बीड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	1855	868 / 31.3.2016
8	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या.लमकना	790	967 / 31.3.2016
9	हस्तशिल्प कला उद्योग सहकारी समिति मर्या. भेड़ाघाट जबलपुर	750	450 / 22.2.2000
10	बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.मझौली	533	455 / 22.2.2000
11	कमजोर वर्ग दि उपकरण उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	694	1514 / 2.7.2013
12	डा. अम्बेडकर उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	570	1515 / 2.7.2013
13	प्रगति महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	480	1517 / 2.7.2013
14	इंडस्ट्रियल माइनिंग उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	213	1518 / 2.7.2013
15	महिला वाशिंग पाउडर उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	1822	1517 / 2.7.2013
16	आशीर्वाद लोह एवं काष्ठ उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	578	844 / 17.3.2016
17	पारस खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या.जबलपुर	581	1513 / 2.7.2013
18	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.दिनारी खमरिया	450	2502 / 9.8.1984
19	श्री राधा कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या.धनगवां	2072	2462 / 3.10.2015
20	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हरसिंधी	1982	1001 / 15.3.2021
21	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.पड़रिया	1963	1002 / 15.3.2021
22	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.नांदघाट	1969	1003 / 15.3.2021
23	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मानगांव	2002	1004 / 15.3.2021
24	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.खिरवा हरदुआ	1983	1005 / 15.3.2021
25	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.सिमरिया घाट	1957	1006 / 15.3.2021
26	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.हरदुआ बंधा	1968	1007 / 15.3.2021
27	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.पौड़ी कला	1959	1008 / 15.3.2021
28	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हटौली	1955	1009 / 15.3.2021

29	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.हथलेवा	1980	1010 / 15.3.2021
30	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. समधार	1999	1011 / 15.3.2021
31	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.सगौड़ी	1990	1012 / 15.3.2021
32	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. मुरैठ	1995	1013 / 15.3.2021
33	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पौड़ा	1993	1014 / 15.3.2021
34	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.देवरीपीपल	1992	1015 / 15.3.2021
35	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.इंद्राना	1965	1016 / 15.3.2021
36	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. उमरधा	1977	1017 / 15.3.2021
37	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.अभाना	1978	1018 / 15.3.2021

अतः मैं योगेश दुबे सहकारी निरीक्षक जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जबलपुर, दिनांक—

योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-1086)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जबलपुर के आदेशों द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था कोपरिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मोहनिया	781	1025 / 15.3.2021

अतः मैं नितिन मेहरा सहकारी निरीक्षक जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जबलपुर, दिनांक-

नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G- 1087)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ जबलपुर

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जबलपुर के आदेशों द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मिढकी	1981	1019 / 15.3.2021
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित मुरई	601	1020 / 15.3.2021
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित धनौली	2000	1021 / 15.3.2021
4	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित ककरहटा	1984	1022 / 15.3.2021
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिमरिया	625	1023 / 15.3.2021

अतः मैं विवेक जैन सहकारी निरीक्षक जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जबलपुर, दिनांक—

विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G- 1088)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जबलपुर के आदेशों द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित तिघरा	724	1024 / 15.3.2021

अतः मैं प्रमोद कापड़िया सहकारी निरीक्षक जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जबलपुर, दिनांक—

प्रमोद कापड़िया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G- 1089)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ जबलपुर

मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जबलपुर के आदेशों द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित गुबराकला	2126	1026 / 15.3.2021

अतः मैं रघुनाथ कुदोलिया सहकारी निरीक्षक जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूवपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें रिकार्ड रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अंदर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जबलपुर, दिनांक-

रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G- 1090)

कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

क्र.-परिसमापन-2023-396

नीमच दिनांक 03 मई 2023

--: आदेश :-

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. बीज एवं विपणन
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 267 दिनांक 27.05/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1135 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 267 दिनांक
 27.05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री धार के अंतर्गत तह.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-397

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

उन्नात बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. उत्तरिमा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 344 दिनांक 03/08/2016 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1142 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्नात बीज एवं विपणन
सहकारी संस्था मर्या. उत्तरिमा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 344 दिनांक
03/08/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रिनु पटेल 34
34 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
चाार्ज प्राप्त कर चाार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 8-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-398

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

श्री. किलेश्वर म.हाडे बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. उत्तरिमा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 229 दिनांक 09/03/2015 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1127 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. किलेश्वर म.हाडे बीज एवं विपणन
सहकारी संस्था मर्या. उत्तरिमा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 229 दिनांक
09/03/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रिनु पटेल 34
34 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
चाार्ज प्राप्त कर चाार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 8-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-400

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
उत्तर पंजीक रावड बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ए.एम.लिया.....
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 215 दिनांक 21/11/2014 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1123 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर पंजीक रावड बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ए.एम.लिया..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 215 दिनांक
20/11/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रि.पटेल 34 30
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-401

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
सरदार परेल बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ए.एम.लिया.....
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 340 दिनांक 07/06/2016 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1149 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरदार परेल बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ए.एम.लिया..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 340 दिनांक
07/06/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए.एम.लिया
ए.एम.लिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-402

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 244 दिनांक 16/03/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1146 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 244 दिनांक
 16/03/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम.एल.एस.निया (रि.)
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-403

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 238 दिनांक 16/03/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1128 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 238 दिनांक
 16/03/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ए.पी.जी.ए.ए.ए.ए.ए.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.—परिसमापन—2023—404

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
~~देवतारासहा~~ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~कतापटो~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 222 दिनांक 24/11/2014 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1124 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ~~देवतारासहा~~ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~कतापटो~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 222 दिनांक
 14/11/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~अनुमोल~~ ~~जैन~~
~~अज्ञे~~ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.—परिसमापन—2023—405

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
~~उमिया~~ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~अज्ञे~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 322 दिनांक 08/09/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1146 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ~~उमिया~~ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~अज्ञे~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 322 दिनांक
 08/09/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~एन.के.नाडिया~~ ~~सह~~
~~जिती~~ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-406

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 राज. राजेश्वरी महिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 256 दिनांक 26/02/2003 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1201 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज. राजेश्वरी महिला गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 256 दिनांक 26/02/2003
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सह निरी.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-407

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 05/08/2003 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1200 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 05/08/2003
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विपिन अग्गाली सह निरी.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-408

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 अरुण महिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 57 दिनांक 07/07/2014 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1198 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अरुण महिला गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 57 दिनांक 07/07/2014
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री यु.के.एस. शर्मा लट्टे निवा.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-409

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 अमरपती पत्रकार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 94 दिनांक 11/07/2014 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1195 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अमरपती पत्रकार गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 94 दिनांक 11/07/2014
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विपिन अडवाणी लट्टे निवा.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-410

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 524 दिनांक 09/01/1999 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1174 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 524 दिनांक 09/01/1999 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-411

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 531 दिनांक 16/01/1999 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1173 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 531 दिनांक 16/01/1999 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-412

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

संजय सिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 538 दिनांक 14/02/1999 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1172 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये संजय सिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 538 दिनांक 14/02/1999 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री ए. ए. ए. ए. ए. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-413

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

श्री ए. ए. ए. ए. ए. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 161 दिनांक 20/05/2011 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1165 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री ए. ए. ए. ए. ए. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 161 दिनांक 20/05/2011 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री ए. ए. ए. ए. ए. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 4-3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-414

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री. संजय सिंह आर्य प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 329 दिनांक 28/07/1980 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.7.6 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. संजय सिंह आर्य प्राथमिक उपभोक्ता
 सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 329 दिनांक
 28/07/1980 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर.के.ए. को परिसमापक
 नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-415

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री. संजय सिंह आर्य प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 109 दिनांक 28/12/2007 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.6.7 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. संजय सिंह आर्य प्राथमिक उपभोक्ता
 सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 109 दिनांक
 28/12/2007 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.ए.ए. को परिसमापक
 नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-416

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री. बी.स.प्र.जा. बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. रा.रा.रा.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 241. दिनांक 10/03/2017 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.4.7 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. बी.स.प्र.जा. बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. रा.रा.रा. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 241. दिनांक
 10/03/2017 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री. प.दी.प.न.ए.रा. रा.रा.रा.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-417

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री. धन.रा.रा. बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. रा.रा.रा.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 23.7 दिनांक 09/03/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.2.6 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. धन.रा.रा. बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. रा.रा.रा. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 23.7 दिनांक
 09/03/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री. दि.प.रा.रा.रा. रा.रा.रा.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-418

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
~~श्री-शरदकुमार~~ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री-मनगार~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ~~33.4~~ दिनांक ~~01.12.2015~~ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1141 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ~~श्री-शरदकुमार~~ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री-मनगार~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ~~33.4~~ दिनांक
~~04/12/2015~~ उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~अतुल अशोक~~
~~2015~~ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक ~~3-5-2023~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-419

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. ~~पिपलोन~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ~~39.8~~ दिनांक ~~21/01/1987~~ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1216 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
 मर्या. ~~पिपलोन~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ~~39.8~~ दिनांक ~~21/01/1987~~
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~एल.एल. रामनिया. HE गिरी~~ को
 परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज
 लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक ~~3-5-2023~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-420

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. उमाहेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 200 दिनांक 03/09/2014 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1217 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. उमाहेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 200 दिनांक 03/09/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पुदीप नारायण सह निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।



क्र.-परिसमापन-2023-421

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. धनेरिया खुर्द
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 246 दिनांक 23/03/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/..... दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. धनेरिया खुर्द जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 246 दिनांक 23/03/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.एल. श्यामनिधा सह निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-422

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रतनगढ़
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 257 दिनांक 25/04/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1242 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रतनगढ़ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 257 दिनांक 25/04/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री शार के हरित सह निरा. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-423

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हरदिया जागीर
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 291 दिनांक 29/06/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1237 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हरदिया जागीर जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 291 दिनांक 29/06/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रितु पटेल उप-अडिवाक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-424

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वरडिया
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 355 दिनांक 29/09/2016 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1223 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वरडिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 355 दिनांक 29/09/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रिनु चरेल उषा अंकेसरू को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-425

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वरखेडा मनासा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 317 दिनांक 04/08/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1224 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वरखेडा मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 317 दिनांक 04/08/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नाडेजी लक्ष्मी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-426

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हालखेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 392 दिनांक 15/03/2018 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1231 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. हालखेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 392 दिनांक 15/03/2018 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम.एल. ज्ञाननिया सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-427

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 16.12.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1177 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 04 दिनांक 16.12.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-428

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

नीमच दुरभाष कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 710 दिनांक 26.08.1993 को कार्यवाहीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1189 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपदिशि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की दिज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीमच दुरभाष कर्मचारी, साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 710 दिनांक 26.08.1993 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-429

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

सामुदायिक ग्रामीण विकास साख सहकारी संस्था मर्या. रूपपुरा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 193 दिनांक 10.03.2014 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1179 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपदिशि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की दिज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सामुदायिक ग्रामीण विकास साख सहकारी संस्था मर्या. रूपपुरा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 193 दिनांक 10.03.2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-430

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

अनंता महिला साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 03 दिनांक 06.12.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक /परिसमापन/2022/1175 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनंता महिला साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 03 दिनांक 06.12.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-431

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोरदियाकलां 2 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 277 दिनांक 03.06.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1245 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोरदियाकलां 2 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 277 दिनांक 03.06.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-432

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जयकालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. हर्कियाखाल जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 116 दिनांक 14.07.2008 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1159 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं **संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयकालिका मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. हर्कियाखाल जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 116 दिनांक 14.07.2008 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।**

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-433

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लसुडिया ईस्तमुरार जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 326 दिनांक 14.09.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1232 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं **संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लसुडिया ईस्तमुरार जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 326 दिनांक 14.09.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अतुल जैन उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।**

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-434

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जय मां शैरोवाली मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. अमरपुरा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 88 दिनांक 27.04.2007 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1160 दिनांक 13.12.20222 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय मां शैरोवाली मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. अमरपुरा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 88 दिनांक 27.04.2007 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-435

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जय मातादी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 139 दिनांक 25.09.2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1157 दिनांक 13.12.20222 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय मातादी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 139 दिनांक 25.09.2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-436

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जय अम्बे मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. खेडली जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 36 दिनांक 09.10.2002 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1162 दिनांक 13.12.20222 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को ले जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय अम्बे मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. खेडली जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 36 दिनांक 09.10.2002 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-437

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

अटल सागर विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्या. मांगरोल जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 138 दिनांक 25.09.2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1158 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अटल सागर विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्या. मांगरोल जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 138 दिनांक 25.09.2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-438

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

ग्राम विकास मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. झांतला जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 22 दिनांक 17.01.2001 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1163 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम विकास मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. झांतला जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 22 दिनांक 17.01.2001 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-437

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

करेल मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. डीकेन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 351 दिनांक 07.09.2016 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1155 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये करेल मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. डीकेन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 351 दिनांक 07.09.2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-440

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. डीकेन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 39 दिनांक 02/08/87 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1203 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. डीकेन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 39 दिनांक 02/08/87 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री उदीप नाट्टा मह तन्त्री को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-441

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 4/3/21 गौहरा गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. श्री म.प्र. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 19 दिनांक 05/05/2005 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1202 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये 4/3/21 गौहरा गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. श्री म.प्र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 19 दिनांक 05/05/2005
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री 4/3/21 गौहरा गृह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-442

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 राज.द.व. गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. श्री म.प्र. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 28 दिनांक 03/03/..... को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1207 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये 2/1/21 गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. श्री म.प्र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 28 दिनांक 03/03/.....
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री 2/1/21 गृह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-443

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 34 दिनांक 16/06/69 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1206 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 34 दिनांक 16/06/69
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री उदीप नाहटा सह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-444

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 14 दिनांक 31/12/81 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1205 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 14 दिनांक 31/12/81
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री उदीप नाहटा सह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-445

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 गुरुकुल गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 52 दिनांक 23/07/2004 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1199 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गुरुकुल गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 52 दिनांक 23/07/2004
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अदीप साहू सह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-446

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 हरिपन गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 35 दिनांक 09/06/1979 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1186 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिपन गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 35 दिनांक 09/06/79
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सह निरी
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-447

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 अतः पी.राम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 1.5 दिनांक 09/11/2007 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1194 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अतः पी.राम गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 1.5 दिनांक 09/11/2007
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह निरीक्षक
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-448

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 अतः पी.राम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 09 दिनांक 16/07/21 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1193 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अतः पी.राम गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 09 दिनांक 16/07/21
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह निरीक्षक
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-449

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 पुलित विभाग की गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 1.१० दिनांक 2०/०९/२००७ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11७2 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पुलित विभाग की गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 1.१० दिनांक 2०/०९/२००७
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ... को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-450

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 पुलित विभाग की गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. जिला
 नीमच पंजीयन क्रमांक 2.1 दिनांक 2४/11/19९1 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1197 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पुलित विभाग की गृहनिर्माण सहकारी
 संस्था मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.1 दिनांक 2४/11/19९1
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ... को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर
 चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित
 करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-451

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री सांवलिया बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री सांवलिया~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.1.2. दिनांक 29/10/2014 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.2.1. दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सांवलिया बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री सांवलिया~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.1.2. दिनांक
 20/10/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-451

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री राम बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री राम~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 3.6.2. दिनांक 22/07/2017 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/11.2.8 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राम बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~श्री राम~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 3.6.2. दिनांक
 22/07/2017 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस.एस. रामनिया सह.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-452

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
सायली..... बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या.सायली.....
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 268 दिनांक 28/05/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1134 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुयेसायली..... बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या.सायली..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 268 दिनांक
28/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.के.गान्देशी.पि.ए.
निरुधि को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-453

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
विनायक..... बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या.हाकरी.....
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 359 दिनांक 21/10/2016 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1229 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुयेविनायक..... बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या.हाकरी..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 359 दिनांक
21/10/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रितु पटेल.एम.ए.ए.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-454

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री २००१/१ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~१२३४५६७८९~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक २१३ दिनांक १७/११/२०१५ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/११२० दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री २००१/१ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~१२३४५६७८९~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक २१३ दिनांक
 १७/११/२०१५ उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~३५~~
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक ४-५-२०२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-454

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
~~१२३४५६७८९~~ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. ~~५२३४५६७८९~~
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ३५२ दिनांक ०८/०९/२०१६ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/११२० दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ~~१२३४५६७८९~~ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. ~~५२३४५६७८९~~ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ३५२ दिनांक
 ०८/०९/२०१६ उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री ~~३५~~
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक ३-५-२०२३ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-455

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 255 दिनांक 30/03/2017 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1130 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विनायक बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुहम्मद जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 255 दिनांक 30/03/2017 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाट्टा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-457

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 359 दिनांक 20/11/2016 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1129 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीदवामाता बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्रीवत जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 359 दिनांक 20/11/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.के.नाट्टा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-458

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री. लीलावात..... बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री. लीलावात.....
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.6.6. दिनांक 03/02/2017 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1133 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. लीलावात..... बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. श्री. लीलावात..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.6.6. दिनांक
 03/02/2017 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री. प्रदीप ना. इ. रा. श. ए. ए.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-472

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. श्री.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 390 दिनांक 08/01/1987 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1245 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
 मर्या. श्री. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 390 दिनांक 08/01/1987
 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री. एन. के. ना. रे. चा. त. ए. नि. श. को
 परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज
 लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-473

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दुधलाई
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 49.6. दिनांक 02/09/1997 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1211 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दुधलाई जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 49.6 दिनांक 02/09/1997 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-476

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

ग्रामीण जैविक कृषि खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक 07.07.2007 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक /परिसमापन/2022/1175 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्रामीण जैविक कृषि खाद बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नीमच पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक 07.07.2007 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-478

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिररवेड
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 202 दिनांक 20/10/2014 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1219 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिररवेड जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 202 दिनांक 20/10/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह. निरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-479

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खिलवाल शम्भुनिया
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक दिनांक 21/01/1987 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1219 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खिलवाल शम्भुनिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक दिनांक उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस.एल. शम्भुनिया सह. निरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-480

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री रामेश्वर बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री.मि.स.र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 269 दिनांक 22/05/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1136 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री रामेश्वर बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री.मि.स.र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 269 दिनांक 22/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.के.नायडू लाल को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-481

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री.मि.स.र. बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री.मि.स.र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 265 दिनांक 19/05/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1131 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री.मि.स.र. बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री.मि.स.र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 265 दिनांक 19/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अतुल चौरा 39.31.2 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-482

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
जन ०२०२१/०१ बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. डिरमिर
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 318 दिनांक ०५/०३/२०१५ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1138 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जन ०२०२१/०१ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. डिरमिर जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 318 दिनांक
०५/०३/२०१५ उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सह...
विदी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-483

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
आयुष बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. मात्री
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 348 दिनांक 31/०३/२०१६ को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1145 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये 31/०३/२०१६ बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. मात्री जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 348 दिनांक
31/०३/२०१६ उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सेठ
विदी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया। 3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-484

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 भारतीय किसान बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. भरप्रदेश जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 270 दिनांक 28/05/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/11.3.7 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारतीय किसान बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. भरप्रदेश जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 270 दिनांक 28/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल.एल.राजनिधि तह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 9-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-485

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 22/02/2006 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/11.6.8 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 74 दिनांक 22/02/2006 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर.के.हरि तह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 9-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-486

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री नाकेडा प्रिया प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. ५१/१५
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ५४ दिनांक 29/03/2005 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1166 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15 एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री नाकेडा प्रिया प्राथमिक उपभोक्ता
 सहकारी भण्डार मर्या. ५१/१५ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक ५४ दिनांक
 29/03/2005 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर.के.ए.ए. को परिसमापक
 नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-487

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 श्री नाकेडा प्रिया प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. ५१/१५
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 15 दिनांक 02/02/2001 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1169 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15 एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री नाकेडा प्रिया प्राथमिक उपभोक्ता
 सहकारी भण्डार मर्या. ५१/१५ जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 15 दिनांक
 02/02/2001 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रितु प्रताप को परिसमापक
 नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 8-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-488

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पिपल्या सिंघाडिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 251 दिनांक 23.03.2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1150 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पिपल्या सिंघाडिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 251 दिनांक 23.03.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-489

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. श्यामरंज जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 125 दिनांक 16/09/2008 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1221 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. श्यामरंज जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 125 दिनांक 16/09/2008 को उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.एल. श्यामनिभा. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-490

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रातडिया
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 146 दिनांक 05/10/2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/12.17 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. रातडिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 146 दिनांक 05/10/2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अतुल पंत 3ए. अकेडाक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-491

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अरनिया बोराना
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 354 दिनांक 14/09/2016 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/12.22 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अरनिया बोराना जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 354 दिनांक 14/09/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विपिन बरगोती सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-492

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भाटरवेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 263. दिनांक 06/05/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1243 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. भाटरवेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 263. दिनांक 06/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अबुल जिन उप्-अकेडाक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-493 A

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शालागंज
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 325. दिनांक 14/09/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1233 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शालागंज जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 325. दिनांक 14/09/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अबुल जिन उप्-अकेडाक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-493 B

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. आमलिया
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.82. दिनांक 16/06/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1.2.3.9 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. आमलिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.82 दिनांक 16/06/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अनुप जैन उपा. अ.के.डा.रू. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-494

--: आदेश :-

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. धनराव
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.84 दिनांक 17/06/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1.2.4.6 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. धनराव जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.84 दिनांक 17/06/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अरुण के. हरित लक्ष्मी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

3-5-2023

1 1 1

क्र.-परिसमापन-2023-496

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कांजाडी
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 303. दिनांक 06/07/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1235 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी, दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कांजाडी जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 303 दिनांक 06/07/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.के.नान्देचा एच. निरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-497

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वांगरेड
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 123 दिनांक 16/09/2008 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1222 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. वांगरेड जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 123 दिनांक 16/09/2008 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन.के.नान्देचा एच. निरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-498

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पानोली
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 329 दिनांक 6-11-15 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1224 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या. पानोली जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 329 दिनांक 06/11/2015
उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डा. के. धरत मह निरी
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज
लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।
यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-499

— आदेश —

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पानोली
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 236 दिनांक 09/03/2015 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1222 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या. पानोली जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 236 दिनांक 09/03/2015
उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अनिल के. ए. अ. के. डी. के.
को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज
लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।
यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-500

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. फुलपुर
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 275 दिनांक 03/06/2017 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1226 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. फुलपुर जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 275 दिनांक 03/06/2017 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अनुक अना उप-अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-501

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिमरवेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 390 दिनांक 15/03/2018 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1229 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिमरवेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 390 दिनांक 15/03/2018 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस.एस. लामनिया सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।
3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-567

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

मध्य प्रदेश सहकारी साख सहकारी संस्था मर्या. जावद जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 308 दिनांक 14.07.2015 को परिसमापन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1178 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये भविष्य निधी साख सहकारी संस्था मर्या. जावद जि. नीमच पंजीयन क्रमांक 308 दिनांक 14.07.2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करके नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 09/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-568

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

गैलेक्सी साख सहकारी संस्था मर्या. जीरन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 197 दिनांक 22.09.2014 को परिसमापन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1180 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गैलेक्सी साख सहकारी संस्था मर्या. जीरन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 197 दिनांक 22.09.2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 09/06/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

3-5-2023

क्र.-परिसमापन-2023-569

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. माल/हेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 285 दिनांक 17/06/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1238 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-18-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. माल/हेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 285 दिनांक 17/06/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-570

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यावडिया (नीमच)
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 322 दिनांक 06/07/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/..... दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. यावडिया जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 322 दिनांक 06/07/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रवि प्रतेज उपा. अंकेसकु को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-571

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लीरन
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 643 दिनांक 28/03/1992 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1289 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयन की शर्तों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. लीरन जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 643 दिनांक 28/03/1992 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल.एल.बामनिया, न.ए. निरी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

L. A I

क्र.-परिसमापन-2023-572

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गवाल तालाब
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 312 दिनांक 20/07/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1289 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयन की शर्तों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. गवाल तालाब जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 312 दिनांक 20/07/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अशोक अर्जुन, एम.ए. अर्जुन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

hnl

क्र.-परिसमापन-2023-573

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सेमली मेवाड.....
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 21/03/2016 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1239, दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सेमली मेवाड..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 398, दिनांक 21/03/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह. नि.टी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-574

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पत्तौर.....
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 151, दिनांक 05/05/2010 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1215, दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पत्तौर..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 151, दिनांक 05/05/2010 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अनुराज अंत. उप. अ. नि. टी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-575

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

आंगनवाडी लेखा संधारण एवं सामग्री वितरण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 113 दिनांक 13.01.2008 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक /परिसमापन/2022/1185 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आंगनवाडी लेखा संधारण एवं सामग्री वितरण सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 113 दिनांक 13.01.2008 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विपिन बड़गौती सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 2-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-576

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 140 दिनांक 14.08.1963 के कार्यालयीन पत्र क्रमांक /परिसमापन/2022/1191 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नागरिक साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 140 दिनांक 14.08.1963 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-577

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

मित्रजित साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 149 दिनांक 22.02.2010 का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1182 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मित्रजित साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 149 दिनांक 22.02.2010 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देवा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

A. A. A.

क्र.-परिसमापन-2023-578

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

नीमच परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 825 दिनांक 13.04.1999 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1190 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीमच परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 825 दिनांक 13.04.1999 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-579

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 62 दिनांक 26.08.2005 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1186 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासकीय कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 62 दिनांक 26.08.2005 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-580

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

वैभव श्री साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 137 दिनांक 01.09.2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1171 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये वैभव श्री साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 137 दिनांक 01.09.2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 8-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-581

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

नजमी साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 05.10.2009 का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1183 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नजमी साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 148 दिनांक 05.10.2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एस एल बामनिया सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-582

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

पहचान साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 27.09.2008 का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1184 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये पहचान साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 27.09.2008 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री विपिन बडगौती सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-583

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

जय जोगणिया साख सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 184 दिनांक 25.03.2013 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1181 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय जोगणिया साख सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 184 दिनांक 25.03.2013 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-584

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोरवन डेस..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 191 दिनांक 01/03/2014 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1241 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मोरवन डेस..... जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 191 दिनांक 01/03/2014 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री अनुत्तम सिंह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-585

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

बस कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 32 दिनांक 27.03.2002 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1187 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बस कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या. मनासा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 32 दिनांक 27.03.2002 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एन के नान्देचा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-586

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक कृषि मण्डी पेढी सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 08 दिनांक 21.06.2000 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1188 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक कृषि मण्डी पेढी सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 08 दिनांक 21.06.2000 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-587

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 01 दिनांक 01.10.1999 का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1189 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये समृद्धि साख सहकारी संस्था मर्या. नीमच जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 01 दिनांक 01.10.1999 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर के हरित सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-588

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोटडी इन्तकुरार जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 313 दिनांक 30/07/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/1225 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. कोटडी इन्तकुरार जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 313 दिनांक 30/07/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहरा सह निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

P. L. O.

क्र.-परिसमापन-2023-589

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पारवेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.6.2 दिनांक 06/05/2015 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/12.2.7 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पारवेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 2.6.2 दिनांक 06/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सह. नि.टी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-590

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पारवेडा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 1.4.2 दिनांक 05/10/2009 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2022/12.13 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र. सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पारवेडा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 1.4.2 दिनांक 05/10/2009 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नाहटा सह. नि.टी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-591

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. धानुडी रामनी
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 361 दिनांक 23/11/2016 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1144 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये धानुडी रामनी बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. धानुडी रामनी जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 361 दिनांक
23/11/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रितु पटेल 34
को को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-592

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. अज्ञाना
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 266 दिनांक 19/05/2015 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1132 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये अज्ञाना बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. अज्ञाना जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 266 दिनांक
19/05/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रितु पटेल 34
को को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 3-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-593

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री. म. प्र.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक 07.10.2007 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1152 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. म. प्र. बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. श्री. म. प्र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक
07.10.2007 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री. म. प्र.
 को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-594

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)
 बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. श्री. म. प्र.
 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 342 दिनांक 06/07/2016 को कार्यालयीन पत्र
 क्रमांक/परिसमापन/2022/1143 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
 सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
 प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
 करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
 हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
 अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
 में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
 सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
 प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री. म. प्र. बीज एवं विपणन
 सहकारी संस्था मर्या. श्री. म. प्र. जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 342 दिनांक
06/07/2016 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री श्री. म. प्र.
श्री. म. प्र. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
 चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
 प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03-03-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
 से जारी किया गया।

क्र.-परिसमापन-2023-595

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

..... बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुज़ा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 296 दिनांक 06/07/2015 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1139 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मुज़ा बीज एवं विपणन
सहकारी संस्था मर्या. मुज़ा जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 296 दिनांक
06/07/2015 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री प्रदीप नारायण
सिंह को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
चाार्ज प्राप्त कर चाार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 9-5-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

Pr. Ar.

क्र.-परिसमापन-2023-

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत)

..... बीज एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या. मुज़ा
जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 166 दिनांक 01/03/2012 को कार्यालयीन पत्र
क्रमांक/परिसमापन/2022/1153 दिनांक 13.12.2022 से धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ
सूचना पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन
प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं
करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार है तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते
हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी
अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व
में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं संजय सिंह आर्य सहायक पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला नीमच
मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(1) तथा 70(1) के अंतर्गत तथा म.प्र.
सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-डी दिनांक 26.07.1999 के द्वारा
प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मुज़ा बीज एवं विपणन
सहकारी संस्था मर्या. 21797 जिला नीमच पंजीयन क्रमांक 166 दिनांक
01/03/2012 उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रवि प्रकाश
अग्रवाल को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण
चाार्ज प्राप्त कर चाार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम
प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा
से जारी किया गया।

संजय सिंह आर्य, सहायक आयुक्त.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

क्र.-परिसमापन-2023-1507

उज्जैन, दिनांक 15 मई 2023

“ सहकारी संस्थाओं की सूचना ”

(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत)

इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये। कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ओर न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं ओ.पी.गुप्ता उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क/ग) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/पंजीयन दिनांक	परिसमापक का नाम	जावक क्रमांक
1	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बेरछी	2395 / 05.01.2018	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1045 / 26.04.2023
2	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लालाखेडी	2358 / 28.03.2017	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1035 / 26.04.2023
3	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लालाखेडा	2345 / 15.03.2017	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1036 / 26.04.2023
4	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बोरदाधाकड	2443 / 07.01.2019	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1062 / 26.04.2023
5	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खेडा पचोला	479 / 25.08.1980	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1061 / 26.04.2023
6	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बेरछा	1760 / 20.12.2010	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1109 / 28.04.2023
7	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दौलतपुर	1778 / 23.07.2012	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1108 / 28.04.2023
8	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रूपाखेडी	642 / 27.01.1984	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1139 / 28.04.2023
9	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित देवली	2411 / 14.03.2018	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1060 / 26.04.2023

10	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चाकिया	2410 / 14.03.2018	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1059 / 26.04.2023
11	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उमरियाजागीर	2065 / 27.03.2015	श्री आर.एल.परमार (स.नि.)	1133 / 28.04.2023
12	सुभाष प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित नागदा	1047 / 16.03.1992	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1126 / 28.04.2023
13	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित तेलीखेडा	2312 / 27.07.2016	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1403 / 09.05.2023
14	सर्वोदय महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. उज्जैन	1774 / 11.06.2012	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1127 / 28.04.2023
15	माँ पार्वती बीज सहकारी संस्था मर्यादित बरखेडाबुजुर्ग	1896 / 28.10.2014	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1052 / 26.04.2023
16	तिरुपति बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्यादित खुरचनिया चंद्रभान	2441 / 24.12.2018	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1051 / 26.04.2023
17	रविआंजना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गुनावा	2190 / 21.08.2015	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1128 / 28.04.2023
18	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सेमल्या	2089 / 15.06.2015	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1129 / 28.04.2023
19	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित वणी	2083 / 15.06.2015	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1050 / 26.04.2023
20	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रबदानिया	2418 / 12.04.2018	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1046 / 26.04.2023
21	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित शक्करखेडी	501 / 22.09.1980	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1057 / 26.04.2023
22	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित महु	789 / 28.03.1988	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1058 / 26.04.2023
23	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जवासिया सोलंकी	2271 / 15.10.2015	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1131 / 28.04.2023
24	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित साकेतसेदरी	1715 / 30.06.2008	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1130 / 28.04.2023
25	इंडियन परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2274 / 31.10.2015	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1425 / 09.05.2023
26	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लोटियाजुनार्दा	2356 / 28.03.2017	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1056 / 26.04.2023
27	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित श्रावण	2399 / 18.01.2018	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1048 / 26.04.2023
28	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नागगुराडिया	2405 / 14.03.2018	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1055 / 26.04.2023
29	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सुहागपुरा	2408 / 14.03.2018	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1049 / 26.04.2023
30	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आक्याधागा	2448 / 22.02.2019	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1054 / 26.04.2023
31	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित धाराखेडा	2346 / 15.03.2017	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1047 / 09.05.2023

32	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. खराडिया मानपुर	2357 / 28.03.2017	श्री एस.के.मालवीय (स.नि.)	1053 / 26.04.2023
33	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कोयल	799 / 30.06.1988	श्री एन.पी.बहोरे (स.नि.)	1136 / 28.04.2023
34	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चंदूखेडी	437 / 11.05.1977	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1400 / 09.05.2023
35	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सलवा	2371 / 23.08.2017	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1120 / 28.04.2023
36	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बनबना	1847 / 19.03.2014	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1119 / 28.04.2023
37	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बनवाडा	1761 / 22.12.2010	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1118 / 28.04.2023
38	सूरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	90 / 27.02.2008	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1408 / 09.05.2023
39	श्री द्वारकाधीश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपलोदा द्वारकाधीश	1763 / 14.01.2011	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1409 / 09.05.2023
40	अवन्तिका रेडिमेड वस्त्र सिलाई उद्योग सह. संस्था मर्या. उज्जैन	1684 / 05.04.2006	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1116 / 28.04.2023
41	महालक्ष्मी महिला गणवेश सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2353 / 24.03.2017	श्रीमति हेमलता चंदेल (स.नि.)	1117 / 28.04.2023
42	श्री महावीर साख सहकारी संस्था मर्यादित महिदपुर	1602 / 25.11.2002	श्री कमल कांगले (स.नि.)	1374 / 09.05.2023
43	दीपक परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित महिदपुर उज्जैन	2310 / 25.07.2016	श्री कमल कांगले (स.नि.)	1426 / 09.05.2023
44	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित छापरी	1806 / 22.12.2012	श्री कमल कांगले (स.नि.)	1137 / 28.04.2023
45	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लखेसरा	756 / 10.06.1987	श्री कमल कांगले (स.नि.)	1138 / 28.04.2023
46	प्रीमियर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित उज्जैन	1244 / 16.08.1994	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1422 / 09.05.2023
47	वर्धमान प्रिंटिंग बाईडिंग व मैन्यूफ्रेक्चरिंग को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड उज्जैन	1726 / 14.08.2009	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1121 / 28.04.2023
48	श्री उमा ई रिक्शा परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2350 / 15.03.2017	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1424 / 09.05.2023
49	श्रद्धा साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1718 / 17.11.2008	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1367 / 09.05.2023
50	श्री अंगारेश्वर साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2383 / 10.11.2017	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1396 / 09.05.2023
51	मृत्युंजय साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2381 / 25.09.2017	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1397 / 09.05.2023
52	श्री धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	127 / 14.07.2010	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1423 / 09.05.2023
53	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लसुडियागोयल	650 / 13.03.1984	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1123 / 28.04.2023

54	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरखेडीबाजार	2391 / 03.01.2018	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1124 / 28.04.2023
55	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित महुडीपुरा	2452 / 14.03.2019	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1122 / 28.04.2023
56	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घुडावन	426 / 08.03.1977	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1394 / 09.05.2023
57	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित गुणावद	665 / 06.04.1984	श्रीमति मोनिका सक्सेना (स.नि.)	1395 / 09.05.2023
58	प्रतिष्ठा बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1448 / 26.02.1997	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1402 / 09.05.2023
59	प्राकृतिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित उज्जैन	1833 / 01.06.2013	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1364 / 09.05.2023
60	चिंतामण गणेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित उज्जैन	1771 / 02.08.2011	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1363 / 09.05.2023
61	भारती जीवन ज्योति साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1839 / 28.01.2014	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1375 / 09.05.2023
62	श्री प्रेमसाई साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2387 / 14.12.2017	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1382 / 09.05.2023
63	श्री पद्मावती महिला साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	120 / 13.10.2009	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1358 / 09.05.2023
64	वात्सल्य साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1836 / 12.09.2013	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1359 / 09.05.2023
65	उज्जैन मालवा साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1835 / 19.08.2013	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1398 / 09.05.2023
66	आमेटा सहकारी साख संस्था मर्यादित उज्जैन	1832 / 25.04.2013	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1360 / 09.05.2023
67	इंडियन साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1780 / 08.09.2012	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1361 / 09.05.2023
68	डॉ. अम्बेडकर बुद्धिष्ट सहकारी साख समिति मर्यादित उज्जैन	1717 / 03.10.2008	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1378 / 09.05.2023
69	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपल्याबीछा	2164 / 20.08.2015	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1362 / 09.05.2023
70	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घाटखेडी	2393 / 18.01.2018	श्रीमति स्वर्णलता दलाल (स.नि.)	1377 / 09.05.2023
71	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बीसाखेडा	1877 / 16.10.2014	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1381 / 09.05.2023
72	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चौसला	2430 / 01.09.2018	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1039 / 26.04.2023
73	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बाँसखेडी	2437 / 01.09.2018	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1040 / 26.04.2023
74	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपल्याहामा	2317 / 05.09.2016	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1410 / 09.05.2023
75	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बरखेडीखालसा	2409 / 14.03.2018	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1041 / 26.04.2023

76	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बॉसखेडीमजरा	2449 / 22.02.2019	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1043 / 26.04.2023
77	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित धनडाभल्ला	2453 / 15.03.2019	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1042 / 26.04.2023
78	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित चोरवासा	1841 / 19.03.2014	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1385 / 09.05.2023
79	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सालाखेडी	1846 / 19.03.2014	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1383 / 09.05.2023
80	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बोरखेडाभल्ला	1869 / 13.10.2014	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1044 / 26.04.2023
81	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कालूखेडी	1789 / 28.09.2012	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1380 / 09.05.2023
82	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित विनायगा	2153 / 20.08.2015	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1037 / 26.04.2023
83	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित: बडबई	2263 / 07.10.2015	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1379 / 09.05.2023
84	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बांदका	2412 / 14.03.2018	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1038 / 26.04.2023
85	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पानखेडी	2096 / 18.06.2015	श्री संतोष सांकलिया (स.नि.)	1384 / 09.05.2023
86	प्रस्तावित बजरंग प्रिटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	1568 / 27.06.2001	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1406 / 09.05.2023
87	राजेन्द्र सूरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. खाचरौद	998 / 08.04.1991	सुश्री डॉ. निधि भदौरिया (स.नि.)	1392 / 09.05.2023
88	विष्णु प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित नागदा	1576 / 27.07.2001	सुश्री डॉ. निधि भदौरिया (स.नि.)	1368 / 09.05.2023
89	जय मातादी बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यादित लेकोडाआंजना	1624 / 22.01.2004	सुश्री डॉ.निधि भदौरिया (स.नि.)	1421 / 09.05.2023
90	जय विराट साख सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन	2461 / 31.07.2019	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1405 / 09.05.2023
91	जाग्रति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. करोदिया	1675 / 07.06.2005	सुश्री डॉ. निधिभदौरिया (स.नि.)	1420 / 09.05.2023
92	प्रभुकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित ब्राम्हणबरोडा	1749 / 07.06.2010	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1404 / 09.05.2023
93	दीपक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मुण्डलासुलेमान	64 / 18.07.2003	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1407 / 09.05.2023
94	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आजमाबादपादरी	1904 / 14.11.2014	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1125 / 28.04.2023
95	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित काकरदा	1996 / 01.01.2015	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1134 / 28.04.2023
96	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित कलालखेडी	1868 / 13.10.2014	सुश्री डॉ निधि भदौरिया (स.नि.)	1135 / 28.04.2023
97	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दिदियाखेडी	2337 / 01.03.2017	सुश्री डॉ.निधि भदौरिया (स.नि.)	1391 / 09.05.2023

98	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आक्याकोली	785 / 28.03.1988	सुश्री डॉ.निधि भदौरिया (स.नि.)	1393 / 09.05.2023
99	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मुंजाखेडी	1822 / 28.03.2013	श्री मुकेश जोशी (स.नि.)	1369 / 09.05.2023
100	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित हमीरखेडी	2247 / 30.09.2015	श्री मुकेश जोशी (स.नि.)	1388 / 09.05.2023
101	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मडावदी	2088 / 15.06.2015	श्रीएस.एल.चौहान (स.नि.)	1387 / 09.05.2023
102	महाकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित करनावद, तह.-नागदा	1628 / 07.02.2004	श्री एस.एल.चौहान (स.नि.)	1419 / 09.05.2023
103	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकला	2259 / 05.10.2015	श्री एस.एल.चौहान (स.नि.)	1386 / 09.05.2023
104	गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गुवासा	1669 / 23.03.2005	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1389 / 09.05.2023
105	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जहाँगीरपुर	427 / 08.03.1977	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1370 / 09.05.2023
106	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खण्डोदा	1887 / 21.10.2014	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1399 / 09.05.2023
107	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मकडावन	429 / 16.03.1977	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1411 / 09.05.2023
108	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पलसोडा	430 / 16.03.1977	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1427 / 09.05.2023
109	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जमालपुरा	1765 / 29.03.2011	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1413 / 09.05.2023
110	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित महुडीखेडी	2336 / 01.03.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1132 / 28.04.2023
111	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बिरगोदारणधीर	2402 / 18.01.2018	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1414 / 09.05.2023
112	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित रावदियाकलां	2352 / 15.03.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1376 / 09.05.2023
113	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित दुनालजा	2349 / 15.03.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1415 / 09.05.2023
114	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित बडगारा	2378 / 11.09.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1416 / 09.05.2023
115	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सुकलानां	2375 / 11.09.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1417 / 09.05.2023
116	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खण्डवाबीबी	2379 / 11.09.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1413 / 09.05.2023
117	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मुंडलातलाई	2380 / 11.09.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1429 / 09.05.2023
118	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित भिडावद	2386 / 10.11.2017	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1428 / 09.05.2023
119	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खण्डवासुरा	2451 / 14.03.2019	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1365 / 09.05.2023

120	सहयोग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित मौलाना	2450 / 08.03.2019	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1390 / 09.05.2023
121	शिवशक्ति बीज सहकारी संस्था मर्यादित सुराखेडा	1945 / 15.12.2014	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1412 / 09.05.2023
122	वैभवलक्ष्मी बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्या. मालीखेडी	1636 / 10.02.2004	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1401 / 09.05.2023
123	अन्नपूर्णा महिला बहुउद्देशीय सह.संस्था मर्या. भैंसलाकलां	1668 / 23.03.2005	श्री आशीष शर्मा (उप अंकेक्षक)	1366 / 09.05.2023
124	ओरायन ह्यूमन क्रेडिट को. ऑप. सोसायटी लिमिटेड	131 / 12.10.2012	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1111 / 28.04.2023
125	गंगा बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यादित चावण्ड	1674 / 25.05.2005	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1112 / 28.04.2023
126	शारदा बहुउद्देशीय महिला सह. संस्था मर्या. पिपल्यासारंग	1661 / 23.02.2005	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1106 / 28.04.2023
127	माँ वैष्णोदेवी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित गुरला	1632 / 10.02.2004	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1107 / 28.04.2023
128	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खुरचन्याप्रताप	2112 / 25.07.2015	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1110 / 28.04.2023
129	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खडोतिया	2118 / 25.07.2015	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1114 / 28.04.2023
130	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सरवनखेडा	2086 / 15.06.2015	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1113 / 28.04.2023
131	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित लाम्बीखेडी	1748 / 11.05.2010	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1115 / 28.04.2023
132	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित आजन्दा	1890 / 21.10.2014	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1105 / 28.04.2023
133	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खोरिया	712 / 12.09.1985	श्री वी.डी.जडे (उप अंकेक्षक)	1435 / 09.05.2023

उपरोक्त आदेश कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G- 1092)

ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023—ज्येष्ठ 19, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)